शनिवार, २३ मार्च १९५७

लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड १, १९५७

(१८ मार्च से २८ मार्च, १९५७)

1st Lok Sabha (XV Session)

Preservation Unit
9-4-92
Fumigated
On 11/11/83
Parliament Library

पन्द्रहवां सत्र

(खंड १ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय सूची

(भाग २—वाद-विवाद खंड १—१८ से २८ मार्च, १९५७)

	पृष्ठ
अंक १—सोमवार, १८ मार्च १९५७—	
कुछ सदस्यों का निधन	१
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	२
राष्ट्रपति का अभिभाषण .	३–७
स्थगन प्रस्ताव—	
पूर्वी उत्तरप्रदेश में खाद्यान्न स्थिति . .	८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . .	८–१२
लोक-लेखा समिति—	
बीसवां प्रतिवेदन	१२
सदस्यों द्वारा पद त्याग	१२
दैनिक संक्षेपिका .	१३–१६
अंक २—मंगलवार, १९ मार्च, १९५७—	
श्री पी० एस० कुमार स्वामी राजा का निधन	१७
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१७–२०
प्राक्कलन समिति—	
चवालीसवां तथा पैंतालीसवां प्रतिवेदन	२१
सदस्य द्वारा पदत्याग . .	२१
रेलवे आय-व्ययक, १९५७–५८—	
उपस्थापित	२१–२४
१९५६–५७ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण	२४
१९५२–५३ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का विवरण	२५
केरल राज्य की संचित निधि में से किये गये व्यय का विवरण	२५–२६
१९५६–५७ के अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) का विवरण .	२६
समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक . .	२६–२८
विचार के लिये प्रस्ताव . . .	२६
खंड २ से ७ और १	२७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . .	२८
विदेशी व्यक्ति कानून (संशोधन) विधेयक . . .	२८–३८
विचार के लिये प्रस्ताव	२८
खंड २ से ९ और १	३५–३८

	पृष्ठ
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	३८
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव के बारे में	३८
सामान्य आय-व्ययक १९५७–५८ उपस्थापित	३८–४२
वित्त विधेयक	४२–४३
पुरस्थापित	४२
नियम समिति—	
आठवां प्रतिवेदन	४३
कार्य मंत्रणा समिति—	
अड़तालीसवां प्रतिवेदन	४३
दैनिक संक्षेपिका	४४–४७
अंक ३—बुधवार, २० मार्च, १९५७—	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	४९, ५०
प्राक्कलन समिति—	
सैंतालीसवां प्रतिवेदन	५०
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	५०–८४
दैनिक संक्षेपिका	८५
अंक ४—गुरुवार, २१ मार्च, १९५७—	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	८७–८९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
अड़सठवां प्रतिवेदन	८९
कार्य मंत्रणा समिति—	
अड़तालीसवां प्रतिवेदन	८९
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	८९–१००
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५६–५७	१००–०६
अनुपूरक अनुदानों की अनपूरक मांगें १९५६–५७ } अतिरिक्त अनुदानों की मांगें १९५२–५३ }	१०६–१९
अनुदानों की मांगें, केरल	१२०–२४
सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा	१२५–२९
दैनिक संक्षेपिका	१३०–३३
अंक ५—शुक्रवार, २२ मार्च, १९५७—	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१३५
राज्य सभा से संदेश	१३५

	पृष्ठ
विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, सभा पटल पर रखा गया	
प्राक्कलन समिति	१३६
उनचासवां और पचासवां प्रतिवेदन . . .	१३६
सदस्यों द्वारा पदत्याग	१३६
विनियोग (रेलवे) विधेयक—पुरस्थापित . .	१३६
विनियोग विधेयक . . .	१३६–३७
विनियोग (संख्या २) विधेयक—पुरस्थापित . . .	१३७
केरल विनियोग विधेयक—प्रस्थापित . . .	१३७
सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . .	१३८–६६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के अड़सठवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . .	१६६–६७
चाय उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प . . .	१६७–७०
गन्ने का मूल्य नियत करने के लिये संविहित निकाय के बारे में संकल्प .	१७२–७७
दैनिक संक्षेपिका	१७८–७९
अंक ६—शनिवार, २३ मार्च, १९५७—	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . .	१८१
सभा से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—	
बीसवां प्रतिवेदन	१८१
विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९५७—	
विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव . .	१८१–८२
विनियोग विधेयक, १९५७—	
विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव . .	१८२
विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९५७—	
विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव . .	१८३
केरल विनियोग विधेयक, १९५७—	
विचार तथा पारित करने के प्रस्ताव . .	१८३
सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा . .	{ १८ –९४, १९ –२२३
सभा का कार्य . . .	१९४
दैनिक संक्षपिका	२२४
अंक ७—सोमवार, २५ मार्च, १९५७—	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . .	२२५–२६
प्राक्कलन समिति—	
इक्यावनवां, छप्पनवां और सत्तावनवां प्रतिवेदन . .	२२७

	पृष्ठ
सदस्य द्वारा पद-त्याग	२२७
केरल आय-व्ययक, १९५७-५८	२२७-२८
राष्ट्रपति से संदेश	२२९
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के संबंध में प्रस्ताव . . .	२२९-६१
दैनिक संक्षेपिका . .	२६२-६३

अंक ८—मंगलवार, २६ मार्च, १९५७—

श्री सत्यप्रिय बैनर्जी का निधन .	२६५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . .	२६५
राज्य-सभा से संदेश . .	२६६
लोक-लेखा समिति—	
बाइसवां प्रतिवेदन	२६६
प्राक्कलन समिति—	
अड़तालीसवां और अठावनवां प्रतिवेदन .	२६६
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
बिनयनगर के रेलवे फाटक के निकट दुर्घटना .	२६६-६७
अनुपस्थिति की अनुमति .	२६८
सदस्य द्वारा पद-त्याग . . .	२६८
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव .	२६८-६९
लेखानुदानों के लिये मांगें .	२७९-३००
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—	
पुरःस्थापित .	३०१
वित्त विधेयक, १९५७—	
विचार के लिये प्रस्ताव . .	३०१
खण्ड १ से ६ . .	३०२
पारित करने का प्रस्ताव .	३०२-०३
रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा .	३०३-०९
नियम समिति—	
नवां प्रतिवेदन	३०६
सभा का कार्य	३०६
दैनिक संक्षेपिका	३१०-११

पृष्ठ

अंक ९— बुधवार, २७ मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३११–१६

लोक-लेखा समिति—

चौबीसवां प्रतिवेदन ३१६

प्राक्कलन समिति—

बावनवां और उनसठवां प्रतिवेदन . . . ३१६

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भारत में तेल की खोज के संबंध में हुई प्रगति . . ३१६–१८

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५७—

विचार तथा पास करने का प्रस्ताव . . ३१८

रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . ३१८–३३

लेखे पर अनुदान की मांगें (रेलवे) . . ३३३–४७

विनियोग (रेलवे) लेखानुदान विधेयक, १९५७—

पुरःस्थापित ३४८

केरल आय-व्ययक—सामान्य चर्चा ३४८–५३

दैनिक संक्षेपिका ३५४–५६

अंक १०—गुरुवार, २८ मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . ३५७–६०, ३६५

हिन्दी पर्याय समिति का प्रतिवेदन . . ३६०

राज्य-सभा से संदेश ३६१

लोक-लेखा समिति—

तेइसवां प्रतिवेदन ३६१

प्राक्कलन समिति—

छियालीसवां, तिरपनवां से पचपनवां और साठवां से छासठवां प्रतिवेदन ३६१

याचिका समिति—

बारहवां प्रतिवेदन . . . ३६२

आश्वासनों संबंधी समिति—

चौथा प्रतिवेदन ३६२

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

ऐसे बीमा समवायों की पालसियां जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। ३६२–६३

स्थगन प्रस्ताव—

कालीघाट फाल्टा रेलवे को बन्द करने के बारे में निर्णय ३६३–६४

सदस्यों द्वारा पद-त्याग ३६५

	पृष्ठ
नियम समिति—	
नवां प्रतिवेदन	३५६
विनियोग (रेलवे) लेखानुदान विधेयक, १६५७—	
विचार तथा पास करने के प्रस्ताव . . .	३५६
केरल आय-व्ययक—सामान्य चर्चा	३६०–७२
लेखानुदान की मांगें—केरल, १६५७–५८ . . .	३७२–८२
केरल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १६५७—	
पारित	३८२
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक . . .	३८२–६०
विचार करने का प्रस्ताव	३८२
खंड १ से ३	३६०
पारित करने का प्रस्ताव	३६०
राष्ट्रपति के निर्वाचन और नई लोक-सभा के गठन के बारे में चर्चा .	३६०–६५
विदाई भाषण	३६५–४०१
दैनिक संक्षेपिका	४०२–०५
पन्द्रहवें सत्र में किये गये कार्य का संक्षेप . . .	४०६–०७
अनुक्रमणिका	(१–१०४)

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २--प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोकसभा

शनिवार, २३ मार्च, १९५७

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(प्रश्न नहीं थे--भाग १ प्रकाशित नहीं हुआ)

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन

†**सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : मैं श्री मनुभाई शाह की ओर से प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्न पत्रों की एक एक प्रति सभापटल पर रखता हूँ:—

(१) इलैक्ट्रिक ब्रास लैम्प होल्डर उद्योग का संरक्षण जारी रखने पर प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५६) तथा उस प्रतिवेदन को सरकार के पास भेजन वाले पत्र संख्या टी.सी./आई.डी/ई६५ तारीख २४ दिसम्बर, १९५६ की एक एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गयी--देखिये संख्या एस ५६/५७]

(२) सरकारी संकल्प संख्या ४८(१) टी.बी./५६ तारीख २२ मार्च, १९५७ ।

सदस्यों की अनुमति सम्बन्धी समिति

बीसवां प्रतिवेदन

†**श्री आल्तेकर (उत्तर कनारा)** : मैं सभा से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का बीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

मैं सभा-पटल पर एक अन्य सूची भी रखता हूं जिस में उन सदस्यों के नाम दिये गये हैं जो १९५६ के चौदहवें सत्र में सभा की बैठकों से १५ या उससे अधिक दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहे।

विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९५७

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं प्रस्ताव‡ करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में रेलवे संबंधी व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

†मूल अंग्रेजी में

‡राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत हुआ

2 LSD—1

"कि खण्ड १ से ३, अनुसूची, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री जगजीवन राम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

***अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विनियोग विधेयक, १९५७

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैं प्रस्ताव‡ करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९५६–५७ की सेवा के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान तथा विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

‡राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत हुआ

विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९५७

†वित्त तथा लोहा और स्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव‡ करता हूं :

"कि ३१ मार्च १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में कुछ सेवाओं पर व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये उक्त सेवाओं के लिये उसी वर्ष अनुदत्त राशियों से अधिक राशियों के भारत की संचित निधि में से विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ से ३, अनूसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

केरल विनियोग विधेयक, १९५७

वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति०त० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव‡ करता हूं :

"कि १ नवम्बर, १९५६ से आरंभ होकर ३१ मार्च, १९५७ तक समाप्त होने वाली अवधि में किये गये व्यय के लिये केरल राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान तथा विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ से ३, अनूसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

‡राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत हुआ।

सामान्य आय-व्ययक--सामान्य चर्चा--जारी

†अध्यक्ष महोदय : अब सभा सामान्य आयव्ययक पर अग्रेतर चर्चा करेगी। कुल समय १० घण्टे इसके लिये रखा गया था अब ५ घन्टे और ७ मिनट शेष बच हैं। आज यह चर्चा समाप्त हो जानी चाहिए।

†श्री नि० ॐ० चटर्जी (हुगली) : श्रीमान, इस सत्र में कराधान आदि नहीं हो रहा है यह एक प्रकार का काम चलाऊ आय व्ययक है। किन्तु हमे देश की आर्थिक स्थिति का दोबारा विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के क्रियान्वित करने से बहुत सी कठिनाइयां हमारे सामने आती जा रही हैं।

हम लोग वित्त मंत्री की बातों से संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि हमें किसी भी प्रकार इस योजना के धन जुटाने का प्रबन्ध करना चाहिये। किन्तु मैं समझता हूं कि हमें योजना की बुनियादी बातों को दोबारा देखना चाहिए।

हमारा प्रतिरक्षा का व्यय ५० करोड़ और बढ़ गया है इसी से योजना में पर्याप्त वाधा पड़ेगी—मैं इस सम्बन्ध मे कोई आपत्ति नहीं करता। हमें इस की ज़रूरत है। काश्मीर में खतरनाक हालात हैं। हमारी शिकायत तो केवल इतनी ही है कि पहले प्रधान मंत्री ने इस बात की चेतावनी हमे नहीं दी।

अब प्रतिरक्षा विभाग के लिये ५० करोड़ अधिक की जरूरत है। पहले हम समझते थे कि हमें अन्य व्यय अधिक नहीं करने पड़ेंगे किन्तु इस प्रकार एक दम योजना के बाहर बढ़ जाने से सारा कार्यक्रम ही खराब हो जाता है। इसके बावजूद भी हम सभी प्रकार तैयार रहना चाहिये क्योंकि पाकिस्तान में जिहाद के नारे लग रहे हैं।

इस के बाद विदेशी मुद्रा का प्रश्न है। यह बुनियादी धारणा भी समाप्त हो गई है। योजना आयोग ने विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं का कम अनुमान लगाया था। माननीय वित्त मंत्री आशावादी नजर आते हैं। किन्तु स्वेज नहर के बन्द हो जाने से और भी स्थिति खराब हुई। हमारे कामों में बाधा पड़ी है।

जब योजना आयोग ने अपना प्रतिवेदन दिया था उस समय आयोग के एक सदस्य श्री नियोगी ने विमति टिप्पण दिया था। उन्होंने उसमें यह सब खतरे बताये थे। उन्होंने कहा था कि घाटे की आयव्ययक व्यवस्था भी खतरनाक हो सकती है। परिवहन के विकास पर भी उन्होंने जोर दिया था। अन्य सदस्यों ने इन बातों की ओर ध्यान ही नहीं दिया।

जब योजना पर चर्चा करने के लिये संसदीय समिति की बैठक हुई तब मैं ने प्रधान मंत्री से यह प्रार्थना की इसे वास्तविक रूप में पंचवर्षीय योजना बनाया जाये। उन्होंने यह बात स्वीकार की थी। हमें अब योजना की प्राथमिकताओं को दोबारा देखना चाहिये। कराधान इस तरीके से हो रहा है कि सब लोगों पर उसका बोझ पड़ रहा है।

निर्वाचनों के दौरे पर मैं ने भारत में देखा कि जनसाधारण करों से बहुत तंग आये हुए हैं। कम से कम खाने के सामान और कपड़े पर तो कर नहीं लगना चाहिये। हमें पता लगा है कि ३६५ करोड़ रुपये का घाटा है—इसे अवश्य ही पूरा किया जाना चाहिये। योजना आयोग को इन सब बातों पर विचार करना चाहिये। इसी योजना को सप्त वर्षीय योजना बनाया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

काश्मीर के बारे में मुझे खुशी है कि सरकार अन्त में हमारे दृष्टिकोण के अनुसार चलने लगी है। हमें पता लगा है कि राज्य-सभा के एक सदस्य ने कहा है कि सरकार सम्प्रदायवादियों से चुनावों में मिली थी। उनका निर्देश कलकत्ता के डा० बी० सी० राय के बारे में था—किन्तु मैं ने डा०राय का वक्तव्य अमृत बाजार पत्रिका में पढ़ा है। उन्होंने कहा है कि लोग उनके सामने यह प्रचार कर रहे थे कि यदि मुहम्मद इस्माइल जीत गया तो फिर वह मुख्य मंत्री बनेगा और इस प्रदेश को पाकिस्तान में मिला देगा। डा० राय का यह वक्तव्य बड़ा ही अच्छा है—किन्तु कांग्रेसी नेताओं ने भी जनसंघ के विरुद्ध साम्प्रदायिक हवा पैदा की है। मुसलमानों को वे भड़काते रहे हैं। मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक मंत्री ने जाकर कहा कि यदि आप इन को चुनेंगे तो काश्मीर भारत में नहीं रहेगा। ऐसी बातें गन्दी हैं। वास्तव में डा० श्याम प्रसाद मुकर्जी ने शेख अबदुल्ला की वास्तविक तसवीर देश को दिखाई थी। हम लोग सुहरावर्दी को जानते हैं। हमने बंगाल में उसकी हकूमत में तकलीफें उठाई हैं। वहां पर बड़ा अकाल हुआ था जिसमें लाखों लोग मारे गये थे। उन लोगों के कारण तो झगड़ा है ही किन्तु हमारे प्रधान मंत्री ने भी कई ऐसे वचन दिये थे जिनके कारण अब हमें नीचा देखना पड़ रहा है।

मैं ने १९५२ में यह बात कही थी कि काश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाना और जनमत की शर्त स्वीकार करना हमारी बड़ी गलती है। उस समय प्रधान मंत्री ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। हमें देश के शत्रु कहा जाता है। ऐसी शर्तें पहले ही नहीं मानी जानी चाहिये थीं। श्री अरविन्दु ने भी इस सम्बन्ध में कहा था कि यदि काश्मीर में यह बात स्वीकार की गई है तो यह देश के विभाजन के बारे में भी स्वीकार की जानी चाहिये थी। प्रधान मंत्री अखंड भारत का मजाक उड़ाते हैं—आज तक कांग्रेस अखंड भारत का ही तो प्रचार करती रही है। लार्ड माउंटबैटिन के चक्कर में आकर इन लोगों ने गलती की।

श्याम प्रसाद मुकर्जी की मृत्यु के बाद मैं काश्मीर गया। वहां मैं हिन्दु तथा मुस्लिम नेताओं से मिला। उन सब ने यही कहा कि आप प्रधान मंत्री से कहिए कि वह जनमत स्वीकार न करें। उस समय हमारी बात किसी ने नहीं सुनी।

जब काश्मीर सम्बन्धी वाद-विवाद के बाद शेख अब्दुल्ला यहां आए तो प्रधान मंत्री ने मुझे उनसे मिलने के लिये बुलाया। मै प्रधान मंत्री के कमरे में शेख अब्दुल्ला से मिला। मैंने पूछा कि यह जनमत आप ने क्यों स्वीकार किया है? उन्होंने कहा "मैं इसे नहीं चाहता हूं। आप अपने प्रधान मंत्री से पूछें। तो फिर यह कैसे हुआ? इसका कारण यह है कि लार्ड माउंटबैटिन इसे चाहते थे। प्रधान मंत्री इस बात को नहीं मानते हैं। अब हम सब का यही कहना है कि काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक धोखा है। इनके हथकंडे वही पुराने हैं। वहां मुद्दई मुजरिम बन जाता है।

दो वर्ष पूर्व जब मैं इंगलैंड में गया तब मुझे बड़े बड़े लोगों ने बताया कि हमारे राजदूत आदि कुछ नहीं कर रहे हैं और पाकिस्तान का प्रचार जारी है। हमारा न्याय्य मामला भी गलत रूप में समझा जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैं ने प्रधान मंत्री को वहां से लिखा कि इस विभाग के पुनर्गठन के बारे में कुछ न कुछ किया जाय। किन्तु कोई बात नहीं हुई। भारत आने पर मैं ने प्रधान मंत्री से बातचीत भी की किन्तु फिर भी कुछ न किया गया। इंगलैंड और अमेरीका को दोष देने से कोई फायदा नहीं है। पहले हम शान्त होकर बैठ रहे। इसी प्रकार गोआ के बारे में भी यही हालत चल रही है।

अभी कुछ दिन हुए मैं काश्मीर गया था वहां बखशी जी से बातचीत हुई—उन्होंने वायदा किया कि चुनाव निष्पक्ष रूप से होंगे। उस समय मैं ने वहां कहा कि अब पारस्परिक विवादों को छोड़ देना चाहिये क्योंकि अब हम खतरे में हैं।

[श्री नि० चं० चटर्जी]

पाकिस्तान वाले चुप नहीं बैठे हैं। उन्होंने बहुत सी मनगढ़न्त बातें बनाई हैं। नून साहेब ने सुरक्षा परिषद् में कहा कि चटर्जी ने भारत में ५०,००० मुसलमानों को हिन्दू बना लिया है। हम ने कभी ऐसा काम नहीं किया। हम सदैव इस बात का विरोध करते रहे हैं। हां जो लोग राष्ट्र घातक काम करते हैं हम ने उनकी आलोचना की है। प्रचार करने में पाकिस्तान को कोई नहीं हरा सकता। हमारी शिकायत तो यही है कि सरकार ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है। सरकार को चाहिये कि अब भी समूचे राष्ट्र को सावधान करे। इन बातों से लाभ नहीं होगा कि आप चाउ-एन-लाइ को कहें कि वह पाकिस्तान जाकर कुछ आपकी वकालत करे। पाकिस्तान अपने काम करता जा रहा है—५० लाख हिन्दु पूर्वी पाकिस्तान से निकाल दिये गये हैं। नेहरू-लियाकत पैक्ट समाप्त हो चुका है। हमने भारत में लाखों मुसलमानों को अपने खर्च से बसाया है। फिर भी सरकार कुछ नहीं समझ रही है। हमें अपनी कमजोर नीति छोड़नी चाहिये—पाकिस्तान आप पर हंसता है।

सरकार को इस बात की क्या जरूरत थी कि वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बखशी गुलाम मुहम्मद को भेजती। क्या काश्मीर की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या नहीं है ? जब काश्मीर का मामला सुरक्षा परिषद् में था उस समय मैं ने प्रधान मंत्री को लिखा कि संसद् का सत्र बुलाया जाये। उन्होंने उत्तर दिया कि शायद बाद में फिर इस मामले पर चर्चा हो—ऐसा य बाद में किया जा सकता है।

कांग्रेस का समाजवाद भी एक धोखा है। श्री देशपांडे को एक कांग्रेसी उम्मीदवार ने हराया है—वह उम्मीदवार एक महारानी थी। कांग्रेस ने बड़े बड़े सामन्त अपने टिकट पर खड़े किये। इस से कांग्रेस बदनाम होती है। यह गिरावट है। किसी सिद्धान्त पर आप को रहना चाहिये।

अलीगढ़ में जो कुछ हुआ उसे सभी जानते हैं। कलकत्ता के बाजारों में 'पाकिस्तान जिन्दाबाद' के नारे लगे। उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। वास्तव में आप लोगों में हौसला ही नहीं है।

†**डा० जयसूर्य** (मेदक) : यदि योजना अवास्तविक है तो आयव्ययक भी अवास्तविक होंगे। हमें पहली बार सरकार के श्वेत पत्र से पता चला है कि आगे आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। अब बहुत से पुराने लोग तो चले जायेंगे और नये लोग आयेंगे। मुझे पता नहीं कि वे लोग उन कठिनाइयों को कहां तक समझ सकेंगे जिनमें से हम लोग गुजरे हैं।

हम ने योजना बनाते समय अपने संसाधनों का अनुमान नहीं लगाया। हम ने योजना का आधार ठोस भूमि पर नहीं रखा। वास्तविक हालात को नहीं देखा।

श्री नून कह रहे थे कि हम सब बातों की जांच करेंगे—किन्तु हम ने इसकी जड़ की ओर ध्यान ही नहीं दिया। मैं ने दूसरे देशों में भी योजनायें देखी हैं। युद्ध के बाद जब जर्मनी में मुद्रा स्फीति हुई मैं वहां था। आप घाटे की बजट व्यवस्था किस आधार पर करते हैं। यदि आपकी अर्थव्यवस्था एक प्रकार से रुक सी जाये तभी आप घाटे की अर्थव्यवस्था कर के काम चला सकते हैं। दूसरे हम ने व्यर्थ ही में रुपया जमा करना शुरू कर दिया। वास्तव में हमें तो बड़ी सोच समझ से काम लेना चाहिये था और अत्यन्त आवश्यक स्थानों पर ही रुपया खर्च करना चाहिये। अब हम बुनियादी गलती तो कर ही चुके हैं। अब प्रश्न यह है कि हम रुपये का व्यय किस प्रकार करें।

†मूल अंग्रेजी में

मैं समझता हूं कि जिन लोगों के द्वारा यह रुपया व्यय किया जा रहा है उनमें भी पर्याप्त सुधार अभी तक नहीं हुआ है । यदि सुधार हुआ होता तो एप्लबी की रिपोर्ट की क्या जरूरत थी । मैं तो यह समझता हूं कि कम से कम रुपये से हमें अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिये । आप हिन्दुस्तान आवास कारखाने का उदाहरण लें---जब वह काम असफल रहा हम ने कहा कि यह तो एक प्रयोग था । मैं मानता हूं कि गलतियां होती हैं---किन्तु हमें कम से कम गलतियां करनी चाहियें । इस सम्बन्ध में यह तरीका अपनाया जाये कि जो अफसर गलती करे उसे कड़ा दण्ड दिया जाये ।

मैं जानता हूं कि मेरा भाषण समाप्त हो जाने के पश्चात् मेरे शब्दों पर कोई ध्यान नहीं देगा क्योंकि यही बातें मैं पांच वर्षों से लगातार कहे जा रहा हूं कि हमारी योजनायें इतनी विशाल नहीं होनी चाहिए । दूसरे मैं पंडित ठाकुरदास भार्गव के इन शब्दों से सहमत हूं कि योजना का जनता में प्रचार होना चाहिए जिससे वे उसे स्पष्ट रूप से उसे समझ सकें ।

जिन बांधों को हम बनवा रहे हैं उन से पानी की व्यवस्था की जा रही है परन्तु इस पानी का उपयोग कोई नहीं उठा रहा है । क्योंकि किसान निर्धनता के कारण इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं । यह स्थिति तुंगभद्रा बांध की रही है । यही कारण है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में उत्पादन उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था ।

दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता की स्थिति सुधारी जाये जिससे वह स्वयं इनमें सहयोग दे । तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां सीमित अर्थ-व्यवस्था होनी चाहिये । जब तक ऐसा नहीं होगा, हमारी योजनायें सफल नहीं होंगी ।

मेरा यह भी विचार है कि जब तक समस्त व्यवस्था परिवर्तित नहीं की जायेगी तब तक कोई ठोस परिवर्तन आने की आशा देश में नहीं है । यह मेरा अपना अनुभव है । आपको एक लागत पर एक अवधि में एक काम पूरा करना है, इसका लक्ष्य निर्धारित कर देना चाहिए । यदि आप इसका निर्धारण नहीं करेंगे तो मेरा विचार है कि योजना की पूर्ण सफलता संदेहात्मक है ।

कल ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए श्रीमती ताकेश्वरी सिन्हा ने कहा था कि विदेशी पूंजी को देश में आने दिया जाये । परन्तु संभवतया उन्हें यह जानकारी नहीं है कि १९४८ में अमेरीका ने कहा था कि जब आप ऋण लेने को तैयार हों तभी आपको टेकनिकल सहायता दी जा सकती है ।

अन्य महत्वपूर्ण बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हम जितना निर्यात करेंगे हमारे लिए उतना अच्छा होगा । परन्तु मेरा विचार है कि जितना कच्चा माल बाहर भेजा जायेगा उतना ही देश को नुकसान होगा । निर्यात की भी एक सीमा होती है । मैं बस यही बात कहना चाहता था ।

†**श्री गिडवानी** (थाना) : मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं । निर्वाचनों के परिणाम आ रहे हैं तथा कांग्रेस विभिन्न राज्यों में सत्तारूढ़ हो रही है । इसके साथ ही हमें याद रखना चाहिए कि दो स्थानों पर कांग्रेस शायद सत्तारूढ़ न होने पाये ।

जबकि मैं सरकार से इस बारे में सहमत हूं कि प्रथम योजना में पर्याप्त प्रगति की गई है परन्तु फिर भी कुछ कारण ऐसे हैं जिनके कारण कांग्रेस को इन हारों का तथा विरोधी पक्ष की बढ़ोत्तरी का सामना करना पड़ा । सब से पहली बात यह है कि कल्याणकारी राज्य के साथ हमें जनता को भी संतुष्ट करना चाहिए । मूल्य बढ़ रहे हैं तथा मध्यम वर्ग की हालत बड़ी चिन्ताजनक है । सरकार को इस पर विचार करना चाहिए ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गिडवानी]

दूसरी बात मैं सरकारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाहता हूं। इसको हटाने के प्रयत्न तो किये जा रहे हैं परन्तु यदि हम स्वयं ईमानदार हो जायें तो भ्रष्टाचार इनमें न फैले। कल मैं एक पदाधिकारी से बातें कर रहा था तो उसने बताया कि नौकरशाही के ोलबाले के कारण समस्याओं का सुलझाना बड़ा कठिन हो रहा है। इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी अवश्य है। मेरा सुझाव है कि हमें इन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

क्योंकि मांगों पर अलग अलग चर्चा नहीं हो रही है इसलिए मैं पुनर्वास समस्या के बारे म कुछ कहूंगा। पुनर्वास मंत्रालय का संक्षिप्त प्रतिवेदन जो हमें मिला है उससे पता लगता है कि १९५६ में ३.२० करोड़ व्यक्ति पूर्वी पाकिस्तान् से आये तथा अब भी प्रत्येक महीने में २६,००० व्यक्ति आ रहे हैं। मेरा विचार है कि सरकार को अब एक स्थायी योजना बनानी चाहिए जिससे पूर्वी पाकिस्तान की समस्या सुलझाई जा सके। पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के बारे में प्रतिवेदन में दिया है कि उन्हें प्रतिकर के रूप में १०.२८ करोड़ रुपये दिए गए हैं। इस बारे में मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि अधिनियम के अधीन परामर्शदाता बोर्ड बनाया गया था जो प्रतिकर के मामलों पर मंत्रालय को परामश देता था। परन्तु मुझे बड़ा खेद हुआ जब मुझे यह बताया गया कि इन सदस्यों ने जिसमें संसद सदस्य भी थे, पदत्याग कर दिया। माननीय मंत्री इसको स्पष्ट करें कि इन सदस्यों ने पदत्याग क्यों किया। डा० अनूप सिंह ने अपने भाषण में राज्य सभा में बताया था कि ८० प्रतिशत सिफारिशें मंत्रालय ने अस्वीकार कर दीं। प्रतिकर के भुगतान के लिए जो नीति अपनाई गई वह बड़ी धीरे धीरे चलाई जा रही है।

इसके पश्चात् मैं प्रतिकर के भुगतान के लिए नगरों के निवासी तथा देहाती निवासी में किये जाने वाले पक्षपात के बारे में बता ा चाहता हूँ। शीघ्र सहायता देने वाली सूची म वह व्यक्ति रखे गये जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ने गये थे। मैं ने उन्हें सुझाव दिया कि ऐसी लड़कियां जिनकी शादी किसी कारणवश न हो सकती हो को भी प्राथमिकता की सूची में रख लिया जाना चाहिए। उन्होंने मुझे यह उत्तर दिया कि प्राथमिकता दिये जाने वाले व्यक्तियों की सूची बहुत बड़ा है तथा नये व्यक्तियों को इसमें रखने से पूर्व मैं चाहता हूं कि पुराने लोग निबट जायें तब नये रखे जायें। यह हालत है।

प्रतिवेदन में यह कहा गया कि अपंगों, विधवाओं तथा बच्चों आदि को, जो खेती नहीं कर सकते, परन्तु खेती यो य भूमि के लिये जिनके दावे सत्यापित हो गये हैं, प्राथमिकता श्रेणी में रखा जा सकता है। नि म ५४ में यह दिया है कि यदि निबटारा आयुक्त चाहे तो वह उनकी भूमि के प्रतिकर को नक़द धन के रूप में दे सकता है। परन्तु जिनकी भूमि १८ एकड़ से अधिक होगी उनको यह नहीं मिलेगा। जिसकी तात्पर्य यह हुआ कि विधवा तथा बच्चों को जिनके पास १८॥ एकड़ भूमि थी प्रतिकर भी नहीं मिलेगा।

इसके अतिरिक्त यह भी किसी को पता नहीं है कि यह प्रतिकर क दिया जायेगा। १० वर्ष बीत चुके हैं परन्तु ४.५ लाख व्यक्तियों में से केवल १.५६ लाख व्यक्तियों को ४८.०७ क ोड़ रुपये प्रतिकर दिया गया है। जिसमें वह धन भी शामिल है जो सम्पत्ति आदि के रूप म दिया गया है।

इसके अतिरिक्त देरी आदि के बारे में बहुत सी शिकायतें हैं। मैं जानता हूं कि यह बड़ा उलझा हुआ काम है परन्तु फिर भी शीघ्रता करने का प्रयत्न करना चाहिए। केवल ग्राह्यता प्रमाणपत्र देने से उनको संतोष नहीं हो जाता है।

मेरा सुझाव है कि परामर्शदाता बोर्ड के सदस्यों के त्यागपत्र के बारे में बताया जाये अन्यथा उसकी नियुक्ति ही क्यों की गई थी।

आज के समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है कि अमेरिका बग़दाद सन्धि में आ रहा है इसलिए हम इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मेरा सुझाव है कि देश के नवयुवकों को सैनिक प्रशिक्षण देना चाहिए तथा उसके लिए और अधिक व्यवस्था करनी चाहिए। इस समय सभी दलबंदी आदि को भुलाकर सैनिक प्रशिक्षण नवयुवकों को दिलाया जाना चाहिए। दूसरे दलों के नेताओं से भी इस पर परामर्श लेना चाहिए।

† **श्री आल्तेकर** (उत्तर—सतारा) : इस आय-व्ययक पर विचार करते समय मेरा ध्यान १९५२ के प्रथम आय-व्ययक पर चला जाता है। वह ४३५.११ करोड़ रुपये का आय-व्ययक था यह ६६३.०८ करोड़ रुपये का आय-व्ययक है। इन पांच वर्षों में हमारे राजस्व में २२७.८७ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय आय के कारण ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि वह तो केवल १२ प्रतिशत ही बढ़ी है परन्तु आय-व्ययक में लगभग ५० प्रतिशत वृद्धि हो गई है। यह वृद्धि अधिक कर लगाने के फलस्वरूप ही हुई है। इस वर्ष २६.८७ करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है जिसको पूरा करने के प्रस्ताव नई संसद् में रखे जायेंगे। यह ५० प्रतिशत की वृद्धि इन पांच वर्षों में कर बढ़ा कर ही पूरी की गई है तथा कर वसूल करने की अब अन्तिम सीमा आ गई है।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

प्रथम योजना काल में आय बढ़ाना इतना कठिन कार्य नहीं था क्योंकि उसमें कृषि उत्पादन पर अधिक बल दिया गया था। परन्तु द्वितीय योजना में भारी उद्योगों पर अधिक बल दिया जा रहा है। इसमें संदेह नहीं कि हम अपने लक्ष्य पूरे करेंगे परन्तु यह कार्य कठिन अवश्य है। कृषि उत्पादन पिछले वर्ष खराब मौसम के कारण अधिक नहीं बढ़ा था परन्तु इस वर्ष पहले से अधिक की आशा है। हमें इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए भी कठिन परिश्रम तथा प्रयत्न करने पड़ेंगे। प्रत्येक वर्ष क्रय शक्ति बढ़ती जा रही है जिसके कारण वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ते जा रहे हैं। इस कारण देश की अर्थ व्यवस्था पर भार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हमें खाद्यान्नों, कपड़े तथा अन्य वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना है।

श्वेत पत्र में यह दिया गया है कि कुल ३६५ करोड़ रुपये का घाटा होगा। इसको पूरा करने के लिए घाटे की अर्थ व्यवस्था को काम में लाया जायेगा तथा इसके कारण भी वस्तुओं के मूल्य बढ़ेंगे। यह मूल्य केवल उत्पादन बढ़ा कर ही रोके जा सकते हैं। हमें समयानुकूल अपना समायोजन करना चाहिए क्योंकि स्थिति गंभीर हो जाने का खतरा है।

हम दुर्गापुर, भिलाई, रूरकेला में इस्पात के कारखाने स्थापित कर रहे हैं तथा उन पर पर्याप्त धन व्यय किया जा चुका है। प्रश्न केवल यही है कि इन पर इतना धन व्यय करके भी कुछ वर्षों तक इनमें उत्पादन नहीं होगा। इसलिए हमें सोचना है कि क्या अन्य योजनाओं पर भी जिनमें देर से उत्पादन होने की संभावना है, हम उसी जोर से काम चालू कर दें जैसा इस्पात के कारखानों पर हो रहा है। निकट भविष्य में हमें इस पर विचार करना होगा।

हमें अपनी अर्थ व्यवस्था ठीक करने के लिये बहुत कुछ करना है। आयात कम करके, निर्यात बढ़ाने हैं। यह कृषि उत्पादन बढ़ा कर ही किया जा सकता है। और आयात भी तब ही कम किये जा सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आल्तेकर]

आयात किये गए माल पर व्यय में हमें कमी करनी है तथा निर्यात बढ़ाने हैं। क्योंकि पहले वर्ष के निर्यात से अन्तिम वर्ष के निर्यात बहुत कम हो गये हैं। इसलिए हमें निर्यात बढ़ाने हैं। चीनी भी अब बड़ी मात्रा में बनाई जा रही है तथा इन कारखानों के बन जाने पर चीनी के कारखाने और बनाये जायेंगे जिससे हमारी यह स्थिति होजाये कि हम चीनी का निर्यात भी कर सकें।

जब हम अपनी बड़ी योजनाओं को जनता को बताते थे वह कहते थे :

हिमवति दित्यौषधयः शीर्षे सर्पः समाविष्टः।

जिसका अर्थ है कि हिमालय में दिव्य औषधियां हैं परन्तु भूख और आवश्यकता का सर्प सिर पर है। जनता गांवों में खाद्यान्नों तथा धन की सुविधायें चाहती है। जब तक यह नहीं किया जायेगा जनता का सहयोग किस प्रकार प्राप्त होगा।

मेरा सुझाव है कि छोटी २ सिंचाई योजनायें प्रारम्भ करनी चाहिएं जिससे उनका सहयोग हम को मिल सके। सरकार चाहती है कि देश की रक्षा के लिए जनता उनका साथ दे तथा इसकी आवश्यकता भी है।

हमें अपने आप्रध बनाने चाहिएं तथा विदेशों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। योजना को सफल बनाने में हमारा कार्य कठिन अवश्य है परन्तु हम जानते हैं कि

यद्दुर्गं यदुरायं दुशघ तु दुष्करम्।
सर्वं हितपसा साध्यं तपो हि दुरति क्रमम्॥

मनु

"जो कुछ भी असंभव हो, जिसकी उपलब्धि कठिन हो तथा जो काम करना कठिन हो वह सब तप अर्थात् त्याग तथा प्रयत्न के द्वारा प्राप्त हो सकता है। तप से दूर कोई वस्तु नहीं है।"

अतएव, यदि हम भविष्य निर्माण के लिए मिल कर और सहयोग से प्रयत्न करें तो निश्चय हम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि देश की प्रगति के लिए ऐसा प्रयत्न होगा।

बाबू राम नारायण सिंह (हजारीबाग--पश्चिम) : सब से पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

इस पार्लियामेंट का यह अन्तिम अधिवेशन है। हम में से बहुत से लोग फिर इस पार्लियामेंट में नहीं आयेंगे और उनमें से मैं भी एक हूं। इस समय मैं अपने जो विचार प्रकट करूंगा वे किसी पार्टी या सरकार की टीका टिप्पणी करने की खातिर नहीं करूंगा बल्कि जो मैं सच्चे दिल से महसूस करता हूं, वही बातें आपके सम्मुख रखूंगा। मैं १९२०-२१ से राष्ट्रीय कार्य में लगा हुआ हूं। जो कुछ मैंने देखा है और अनुभव किया है और जिस तरह की शासन व्यवस्था मैं यहां पर कायम हुई देखना चाहता हूं उसको मैं इस सदन के सामने रखता हूं।

सभापति महोदय, जब यहां पर अंग्रेजों का राज्य था तो मैं उनको खूब अच्छी तरह समझता था। किस तरह से वे यहां पर राज करते थे और क्या क्या लाभ वे यहां से उठाना चाहते थे, किस तरह से जनता को दबाया करते थे, इन सब बातों को मैं खूब समझता था। उस समय इन सब चीजों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन आज इस उम्र में आकर और आज इतना अधिक राष्ट्र सेवा का कार्य करने के बाद तथा अंग्रेजों के यहां से चले जाने के बाद,

जैसी परिस्थितियां यहां पर पैदा हो गई हैं, उनको देखकर मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता है कि यह सब क्या हो रहा है। आज सरकार की आमदनी और खर्च पर बहस हो रही है। छः छः अरब तक रुपया खर्च किया जा रहा है। लेकिन इसका नतीजा क्या निकलता है ? आप भी कभी कभी देहातों में जाते होंगे और वहां पर आप जनता में से यह आवाज़ उठती पाते होंगे कि उस के दु:ख वैसे के वैसे बने हुए हैं और अंग्रेजी राज इस राज से अच्छा था। कम से कम मैं जब कभी भी किसी गांव में जाता हूं तो मुझे तो यही आवाज़ उठती दिखाई देती है। इस चीज़ को सुन कर कौन सा ऐसा राष्ट्र सेवक होगा जिस को दु:ख न होता होगा। यह सरकार किस के लिए है ? खर्च बढ़ता जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका कारण क्या है ? थोड़ा बहुत जो कुछ मैं समझ पाया हूं वह यह है कि आज जो शासन है उसमें कुछ भी अन्तर नहीं नज़र आता है। आज यह कहा जाता है कि इस सरकार को जनता ने बहाल किया है और जनता के हित के लिए इसकी स्थापना हुई है। लेकिन दु:ख की बात तो यह है कि हमारे देश की जनता संगठित नहीं है, बहुत से दलों में विभाजित है और सरकार जो है वह एक संगठित संस्था है। जनता तो इसे उसकी सेवा करने के लिए ही बहाल करती है। देश में कोई भी ऐसा मूर्ख नहीं हो सकता है कि जो इसको मालिक के रूप में बहाल करे और कहे कि तुम हम पर हकूमत करो। जनता ने, देश ने तो सरकार को सेवक समझकर ही बहाल किया है और यह समझ कर बहाल किया है कि सरकार उसकी रक्षा करेगी। चुनाव के समय मंत्री लोग, सदस्यगण, प्रधान मंत्री इत्यादि सब जाते हैं और भांति भांति की बातें कह कर लोगों को ठग करके वोट तो ले लेते हैं लेकिन वोट लेने के पश्चात और सरकार बन जाने के बाद सरकार तो मालिक बन जाती है, सेवक नहीं और जनता पर उसी तरह से हकूमत करना शुरू कर देती है जिस तरह से कि अंग्रेज़ किया करते थे।

सभापति महोदय, मैं सारे देश को कहता हूं, इस सभा भवन को कहता हूं जो लोग चुन कर आये हैं, उनसे कहता हूं, जो लोग सरकार बनायेंगे उनसे कहता हूं कि इस परिस्थिति में अन्तर अवश्य पड़ना चाहिए। राष्ट्रपति से लेकर एक चौकीदार तक सब लोग यह समझें कि वे जनता के सेवक हैं, देश की सेवा करने के लिए ही यह सारी संस्था है। आज देखा यह जाता है कि सारे देश में अगर कोई लोग सुखी है तो वे सरकारी कर्मचारी ही हैं। उनको वक्त पर वेतन मिल जाता है तथा दूसरी तरह की सुविधायें उपलब्ध हो जाती हैं। लेकिन जनता हर तरफ से दुखी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस परिस्थिति में अवश्य ही कुछ न कुछ अन्तर पड़ना चाहिए। मैं कुछ उपाय भी बतलाना चाहता हूं। अभी हमारे गिडवानी साहब ने अपनी तकरीर में रिश्वतखोरी का ज़िक्र किया है। सभापति महोदय, जब देश में रिश्वतखोरी का बाज़ार गर्म है, तो न्याय किस प्रकार सम्भव हो सकता है। आप भी जानते होंगे कि अंग्रेज़ों के जमाने में हमारे देश में रिश्वतखोरी थी जोकि पुलिस तक और कचहरियों तक ही सीमित थी--

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर--मध्य) : इनके अलावा अंग्रेज़ों को कोई दूसरा काम ही नहीं था।

बाबू राम नारायण सिंह : ठीक होगा, लेकिन दूसरे लोग रिश्वत नहीं लेते थे। दूसरे लोग जो अफसर कहलाते थे, वे रिश्वत नहीं लिया करते थे। लेकिन आज किस को ईमानदार कहा जाए और किस को बेईमान, इस का पता ही नहीं चलता है। रिश्वतखोरी तो यहां तक बढ़ गई है कि कुछ तो कहते हैं कि यह चार गुना हो गई है। आज किसी अफसर की इमानदारी पर विश्वास करना कठिन हो गया है। रिश्वतखोरी की चारों ओर भरमार है। मैं अपने

[बाबू राम नारायण सिंह]

इलाके की एक घटना आपको बतलाना चाहता हूं । एक कोर्ट में एक आदमी एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर को रिश्वत देने के लिए गया । वहां पर हमारे भी एक मित्र पहुंच गए । हमारे इस मित्र को देखकर वह सज्जन सहम गए और रिश्वत देते देते रुक गए । कुछ देर के बाद कोर्ट के उस सब-इंस्पेक्टर ने कहा कि इतना क्यों शर्मा रहे हो, आजकल तो रिश्वत सब कोई लेते हैं, सब कोई देते हैं और इस चीज़ को सब कोई जानते भी हैं । रिश्वत लेने देने की तो कोई रोक नहीं है, यह तो मामूली बात हो गई है । लावो, जो कुछ तुम्हें देना है दो । उसने इतना कहकर हाथ पसारा और देने वाले ने रिश्वत दे दी । रिश्वतखोरी इस तरह से आम हो गई है । हम यहां पर पंचवर्षीय योजना बना रहे हैं, कितनी ही योजनाएं बना रहे हैं । लेकिन मैं कहता हूं कि अगर इस देश में किसी प्रकार की सरकार है जिसे सरकार कहलाने का हक़ है, तो वह सब से पहले एक योजना बनाए और वह यह कि देश में रिश्वतखोरी खत्म हो । जब तक रिश्वतखोरी खत्म नहीं होती है तब तक न्याय कैसे सम्भव हो सकता है ? रिश्वतखोरी कितने ही प्रकार की है और वह किस कारण से बढ़ी है ? वह बढ़ी है खास कर हमारे मंत्रियों की वजह से । आज एक एक मंत्री जो चुनाव में खड़े हुए हैं चार, चार पांच, पांच लाख रुपये खर्च करते हैं और हिसाब देते हैं सात हजार रुपये का या ऐसा ही कुछ जो कि नियम बना हुआ है । यह पैसा कहां से आता है ? लोग कहते हैं कि हम तो चन्दा लेते हैं । लेकिन सरकार के किसी भी आदमी को चन्दा नहीं लेना चाहिए, मंत्रियों को भी चन्दा नहीं लेना चाहिए । जो लोग अधिकार में हैं उन का चन्दा लेना रिश्वत के अलावा कुछ नहीं है । मैं समझता हूं कि इस तरह की बातें उड़ जानी चाहिएं । पहली योजना यह बननी चाहिए कि देश में रिश्वतखोरी बिल्कुल न रह जाए, और सरकार अगर चाहेगी तो इस के लिए उपाय की कमी नहीं होगी । सरकार की तरफ से कभी कभी हमारे प्रधान मंत्री और कभी राष्ट्रपति अथवा मंत्री लोग कहते हैं कि जनता सहयोग करे । मैं पूछता हूं कि इस देश में कौन ऐसा मूर्ख होगा जो सरकार से सहयोग नहीं करना चाहेगा ? सरकार से सहयोग करने में किस को नुक्सान हो सकता है ? लेकिन सहयोग के माने यह नहीं कि राष्ट्रपति और सरकार जो कुछ कहती जाए जनता उस को मानती जाए । यह सहयोग के माने नहीं हैं । सहयोग के माने यह हैं कि लक्ष्य एक हो और बराबरी के भाव से उस लक्ष्य से सब लोग काम करें । यह नहीं कि आप हुक्म देते जाएं और हम आप का हुक्म मानते जाएं । तो सहयोग होना चाहिए और सारे देश का ध्यान इस ओर जाना चाहिए कि जो हम ३६ करोड़ भारतवासी हैं जब तक आपस में सहयोग नहीं करेंगे जब तक सरकार एक चीज़ और जनता दूसरी चीज़ रहेगी तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता है । सहयोग होगा तभी हमें आज़ादी का सुख प्राप्त हो सकता है और शान्ति मिल सकती है । और हमारे पास विधान ऐसा है कि आप सब कुछ कर सकते हैं । मैंने एक छोटी किताब लिखी है जिसका नाम है "स्वराज्य लुट गया" । उस किताब में मैं ने कहा है, और आज भी कहता हूं, कि जिस तरह के चुनाव आज होते हैं वह देश के लिए एक विपत्ति हैं, देश के लिए महान संकट है । इस का आखिर क्या मतलब कि जिस वक्त चुनाव आया सारा देश भिन्न भिन्न दलों में बंट गया ? गांवों में दलबन्दी नहीं थी, अब गांवों में भी दलबंदी हो जाती है, गांव तो गांव है, एक एक खानदान में यह होता है कि पुरुष जाता है इस तरफ तो स्त्री जाती है दूसरी तरफ । यह क्या तमाशा है ? मैं समझता हूं कि सारे देश में लोगों को बैठ कर इस के बारे में सोचना चाहिए और इस तरह का चुनाव का संकट दूर होना चाहिए । मैं तो समझता हूं कि सब से पहले तो यह होना चाहिए कि कोई आदमी स्वयं उम्मीदवार न हो, चुनाव लड़ने का काम उम्मीदवार का नहीं होना चाहिए, कोई भी उम्मीदवार न खड़ा हो । यह काम जनता पर छोड़ देना चाहिए कि वह जिस को चाहे रखे । यह कह देना कि जनता मूर्ख है, जनता क्या जानेगी, यह गलत है । अरे, जनता सब कुछ जानती

है, जनता को बिगाड़ने वाले तो नेता लोग हैं जो वोट मांगने जाते हैं। यह काम सोलहों आने जनता का होना चाहिए कि वह जिसे चाहे पसन्द करे और चुन कर भेज दे।

श्री ब० स० मूर्ति (एलरु) : तो कैसे किया जाए, साहब ?

बाबू राम नारायण सिंह : आप तैयार हो जायेंगे तो उपाय की कमी नहीं रह जाएगी। इस के साथ साथ आज इतने तरह की दलबन्दियां हो रही हैं कि कुछ कहना नहीं। कैरला में अभी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट (साम्यवादी सरकार) होने जा रही है। उड़ीसा में न जाने क्या होगा। मैं कहूंगा कि आज इस तरह की दलबन्दियां खत्म होनी चाहिएं। मैं ने पहले कभी कहा था : **आनेस्टी ऐंड पार्टी कैन नाट गो टुगेदर** (ईमानदारी और दलबंदी साथ साथ नहीं चल सकते)' पार्टियों के रहने से अनर्थ होता रहेगा, इसलिए पार्टी की चीज को जाना ही चाहिए। जब मैं पढ़ता था तब राजनीति मेरा विषय था। आप जानते हैं कि पार्लियामेंटरी सिस्टम आफ गवर्नमेंट इंग्लैंड में पैदा हुआ था, वहीं फूला फला और कहा जा सकता है कि वहां अच्छी तरह चलता है। जब मैं विद्यार्थी था उस समय मैं ने एक बहुत बड़े अंग्रेज की लिखी हुई बात पढ़ी थी जो कि मुझे याद है। वह था : "दल प्रणाली की सरकार लोकतन्त्रात्मक सरकार नहीं है; इतना ही नहीं यह लोकतन्त्र की जड़ को नष्ट करती है।" इस लिए जो दलगत सरकार है उस को जाना ही चाहिए क्योंकि वह पंचायती सरकार नहीं है इतना ही नहीं, यह पंचायती सरकार को समूल नष्ट करती है। इस वास्ते पार्टी सिस्टम आफ गवर्नमेंट को पहले जाना चाहिए। इस के स्थान पर सारे देश में आल पार्टीज गवर्नमेंट बने, यह दलबंदियां खत्म होनी चाहिएं, क्योंकि जब तक यह रहेंगी तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता।

एक बात और कहता हूं। अभी हमारे एक भाई ने पढ़ कर सुनाया था अमरीका के बारे में कि वह बगदाद पेक्ट के साथ शामिल होने जा रहा है। आज जो हमारे देश की वैदेशिक नीति है वह बिल्कुल बुजदिली की मालूम होती है। हमारी सरकार को जरा बहादुर होना चाहिए। मैं इस की ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि इस में बहुत समय लग जाएगा। आज कल अमरीका पाकिस्तान को सैनिक सहायता दे रहा है और बार बार व्याख्या कर रहा है और आश्वासन दे रहा है कि पाकिस्तान भारत के प्रतिकूल हमारे अस्त्रों को नहीं इस्तेमाल करेगा। लेकिन यह बिल्कुल गलत बात है। हमारे देश की तरफ से सीधे सीधे यह कह देना चाहिए कि अमरीका का मिलिटरी सहायता देना भारत के प्रतिकूल पड़ रहा है। अगर पाकिस्तान को अमरीका शस्त्र देगा तो उन को चलाने के वक्त यह कहना कि इस के खिलाफ इस्तेमाल करो, इस के खिलाफ इस्तेमाल न करो, बिल्कुल मूर्खता की बात है। यह नहीं हो सकता है। इस वास्ते हमारी तरफ से यह घोषणा होनी चाहिए कि अमरीका पाकिस्तान को जो भी सैनिक सहायता दे रहा है वह हमारे देश के खिलाफ है। हमारे एक मित्र ने बड़ा अच्छा कहा कि इस वक्त जरूरत है, हमारे सारे देश की रक्षा का उपाय यही है, कि सारे देश में अनिवार्य सैनिक शिक्षा दी जाए। जितने नवयुवक लोग हैं सब को सैनिक शिक्षा दे कर के बहादुर बनाया जाए ताकि सब कोई अपनी रक्षा करें और जरूरत होने पर देश की रक्षा करें।

एक बात और कह कर मैं बैठ जाता हूं और वह यह है कि सरकार की यह योजना होनी चाहिए कि हर एक आदमी अपने में यह बोध करे कि वह स्वतंत्र है, कोई और उस के मत्थे पर नहीं है। आज कोई राष्ट्रीय सरकार नहीं है, कुछ लोगों का राज्य है और जनता ज्यों की त्यों गुलाम बनी है। स्वराज्य का यह लक्ष्य होना चाहिए कि जनता महसूस करे कि सरकार उस की मालिक नहीं है, सेवक है, और जनता सदा अपने को स्वतंत्र समझे, अपने जीवन धन को बिल्कुल सुरक्षित समझे और कहीं कोई झगड़ा वगैरह हो तो उस वक्त उस को मालूम हो, उस को विश्वास

[बाबू रामनारायण सिंह]

हो कि उसके साथ न्याय किया जाएगा। जब तक यह विचार हमारे देश में नहीं आता है तब तक हम स्वराज्य को यहां नहीं ला सकेंगे। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक सरकार की जरूरत नहीं है और उस को वोट मांगने का ही अधिकार है।

मैं और अधिक नहीं कहूंगा क्योंकि मैं अधिक समय ले चुका हूं। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि जो कुछ मैं ने कहा है, और वह मैं ने किसी को टीका टिप्पणी करने के विचार से नहीं कहा है, मैं ने केवल अपने हृदय का दुःख देश के सामने रखा है, उस पर विचार किया जाना चाहिए और मेरा दावा है कि जब तक सरकार इस रास्ते पर नहीं चलेगी तब तक न कल्याण सम्भव है, न सुख सम्भव है और न शांति सम्भव है।

आगामी सप्ताह के लिये सरकारी कार्य

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : मैं २५ मार्च १९५७ को आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के क्रम की घोषणा करता हूं। कार्य का क्रम निम्न प्रकार होगा :—

१. वर्ष १९५७–५८ के लिए केरल राज्य के वित्तीय प्राक्कलनों का उपस्थापन।

२. २५ मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर वादविवाद।

३. लेखानुदान (सामान्य आय-व्ययक) की मांगों पर चर्चा और मतदान।

४. वित्त विधेयक १९५७ पर विचार और उसे पारित करना।

५. रेलवे आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।

६. लेखानुदान (रेलवे आय-व्ययक) की मांगों पर चर्चा और मतदान।

७. केरल राज्य के प्राक्कलनों पर सामान्य चर्चा और लेखानुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान।

८. राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक पर विचार और उसे पारित करना।

उपरोक्त मांगों सम्बन्धी विनियोग विधेयक भी उसी सप्ताह में पुरःस्थापित करने, विचार करने और पारित करने के लिए प्रस्तुत किये जाएंगे।

सामान्य आय-व्ययक--सामान्य चर्चा--जारी

†**सभापति महोदय** : सभा अब आय-व्ययक की सामान्य चर्चा जारी रखेगी।

†**श्री आनन्द चन्द** (बिलासपुर): प्रतिरक्षा व्यय गत कई वर्षों से प्रायः २०० करोड़ रुपये पर स्थिर है। इस समय जो अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में परिवर्तन हो रहा है उसको देखते हुए हमारी प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं की ओर सरकार को उचित ध्यान देना चाहिए।

गत कुछ महीनों में आपने देखा है कि बड़ी शक्तियों ने किस प्रकार बिना चेतावनी के स्वेज में सैनिक आक्रमण किया है और काश्मीर पर राजनैतिक प्रहार किया, कोई नहीं जानता कि कब सशस्त्र संघर्ष आरम्भ हो जाए। अतः देश की प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं में कोई ढील नहीं होनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरे माननीय मित्र श्री चटर्जी ने प्रति वर्ष प्रतिरक्षा पर अतिरिक्त ५० करोड़ रुपये के व्यय पर चिंता व्यक्त की है। ४८०० करोड़ की योजना में से ५० करोड़ रुपये को कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि सेना को सुसज्जित रखने की नितान्त आवश्यकता है।

श्री गिडवानी ने देश में युवकों के किसी प्रकार के प्रशिक्षण की ओर निर्देश किया था। परन्तु शांतिकाल में साधारण लोगों को, युवकों को सैनिक प्रशिक्षण देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस का यह अर्थ नहीं कि हमें सतर्क नहीं रहना चाहिये; हमें प्रतिरक्षा व्यय को किसी प्रकार कम नहीं करना चाहिये।

मुझे प्रथम पंच वर्षीय योजना के व्यय का लेखा जोखा कहीं नहीं मिला। द्वितीय पंच वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष अर्थात् १९५६–५७ का प्राक्कलन ७०० करोड़ का और आगामी १९५७–५८ वर्ष का ९०० करोड़ रूपये का है। आवश्यक आंकड़ों के बिना आलोचना नहीं की जा सकती। वित्त मंत्रालय के प्रतिवेदन में बताया गया है कि प्रगति के मूल्यांकन के लिए समितियां नियुक्त की गई हैं जिन के प्रतिवेदन सभा को दिये जाएंगे।

सामुदायिक परियोजना प्रशासन और बड़ी सिंचाई योजनाओं के सम्बंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें समय समय पर गबन और फिजूलखर्ची के आरोप सुनने को मिलते हैं। मेरा सुझाव है कि नई परियोजनाओं के कार्य की जांच के लिए जो संगठन बनाया गया है वही अथवा वैसा ही संगठन पुरानी परियोजनाओं में यह जानने के लिये प्रयोग किया जाए कि वहां व्यय की गई राशि का सदुपयोग किया गया है अथवा नहीं।

आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। यद्यपि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है परन्तु कृषि उत्पादन में कमी हुई है। कल कृषक गोष्टी में प्रधान मंत्री ने भी इस बात पर बल दिया है कि कृषि उत्पादन अधिकाधिक बढ़ाना चाहिये। कृषि उत्पादन में जो कमी हुई है उसका कारण जानने की हमने कोशिश नहीं की और हम नहीं समझते कि इसका कारण यह है, हम इस बात का अनुभव नहीं करते कि गांवों में क्या स्थिति है। बात यह है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यदि हम कृषि उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो उस के लिए क्या प्रोत्साहन देते हैं। मेरा यह निष्कर्ष है कि जो आर्थिक सहायता हम देते हैं और बीजों उर्वरकों और यंत्रों के रूप में भी जो सहायता उन्हें दी जाती है उनसे भी कृषकों को प्रोत्साहन नहीं मिलता। मेरे विचार में अपराध हमारी भूमि सम्बन्धी नीति का है जो देश की आर्थिक स्थिति की अपेक्षा राजनैतिक विचारों पर आधारित है। हम कहते हैं भूमिहीनों को भूमि मिले। परन्तु कितनी ? क्या ? अथवा $1^1/_2$ एकड़ ? क्या वह भूमिहीन व्यक्ति $1^1/_2$ एकड़ भूमि पर निर्वाह करते हुए अधिक उत्पादन की समस्या हल कर सकेगा ? उसे अवश्य कम से कम इतनी भूमि मिलनी चाहिये जिस से वह अधिकाधिक उत्पादन कर सके।

हम कहते हैं कि श्रमिक को हानि नहीं पहुंचनी चाहिये। उन्हें अपने श्रम का फल मिलना चाहिये। परन्तु काश्तकारी विधान के अधीन किसानों की भूमि टुकड़े टुकड़े हो रही है। गांव के लोगों को शिक्षा संस्थाओं और टेक्निकल संस्थाओं की सुविधायें प्राप्त नहीं। इस कारण यह होता है कि वे लोग भूमि पर काम करने की बजाय नगरों की ओर दौड़ते हैं। अतः कृषि को हानि पहुंचती है।

मैं कुछ शब्द अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। राज्य पुनर्गठन प्रायः पूर्ण हो चुका है। हिमाचल प्रदेश को अन्तरिम काल के लिए संघ क्षेत्र बनाया गया है। मैं इस का स्वागत करता हूं सरकार को अब उस क्षेत्र के प्रशासन को सुधारना चाहिये। वहां पदोन्नतियां और वरिष्ठताएं गुणावगुणों की अपेक्षा अन्य आधारों पर दी गई है। भूतपूर्व बिलासपुर के ११०० अथवा १२०० कर्मचारियों के साथ सौतेली मां का सा व्यवहार किया गया है। तीन वर्ष से कोई वरिष्ठता निर्धारित नहीं की गई कोई

[श्री आनन्द चन्द]

पदाली निर्धारित नहीं की गई और कोई तरक्की नहीं दी गई । कई मामले ऐसे हैं जहां लोगों को वेतन तक नहीं मिलता ।

मैं ने भाखड़ा परियोजना की पुनर्वास समस्या के सम्बन्ध में सभा को बताया था । यह कहा गया था कि उस क्षेत्र के गांवों में रहने वालों को हिसार में भूमि दी जाएगी परन्तु एक वर्ष हो गया भूमि नहीं दी गई । ग्रामीणों के पुनर्वास में और देर नहीं करनी चाहिये । मैं ने १९५६–५७ के संक्षिप्त प्रतिवेदन में पढ़ा है कि बिलासपुर नगर बनाने के लिए १०३ लाख रुपये की मंजूरी दी गई है । यह नगर जलमग्न हो रहा है । नगर बहुत शीघ्र बनाने की आवयश्कता है परन्तु निर्माण आवास और संभरण मंत्रालय ने १०३ लाख में से १९५७–५८ के लिए ७$^{१}/_{२}$ लाख का उपबंध किया है । इस प्राक्कलन पर विचार कर के और अधिक अनुदान देना चाहिये ।

†श्री कर्णी सिंह जी (बीकानेर-चूरू) : वित्त मंत्री ने महत्वाकांक्षाओं से पूर्ण और समाजवादी व्यवस्था की ओर ले जाने वाला आय-व्ययक प्रस्तुत किया है । हमारी पंचवर्षीय योजनाएं भी अच्छी हैं, परन्तु जब तक राज्यों के मंत्रिमंडल इन्हें कार्यान्वित करने के लिए दृढ़ निश्चय न हों, ये सफल नहीं हो सकतीं ।

राजस्थान में शासक दल की फूट के कारण पंच वर्षीय योजना के अनुदानों का ठीक उपयोग नहीं हुआ । केन्द्रीय सरकार को देखना चाहिये कि अब पुनः वैसी बात न हो ।

बेरोजगारी बढ़ रही है । बार बार निवेदन किये जाने पर भी कि राजस्थान में जहां बेरोजगारी अधिक है वहां उद्योग धंधे खोले जाएं, राजस्थान सरकार और केन्द्र ने कुछ नहीं किया । वहां जिप्सम कोयला और बिजली और जल सभी एक स्थान पर मिलते हैं अतः एक उर्वरक कारखाना अवश्य खुलना चाहिये ।

मैं केन्द्रीय सरकार को बधाई देता हूं कि राजस्थान में सब से बड़ी नहरें बनाई गई हैं जिन से मरूभूमि का बहुत बड़ा क्षेत्र सिंचित होगा ।

एक और समस्या राजस्थान को छोटे नगरों और गांवों में पीने का पानी पहुंचाने की है । इस पर चाहे अधिक व्यय होगा । परन्तु कल्याणकारी राज्य का यह प्रथम कर्त्तव्य है । हम थोड़ा सा व्यय कर के नहर से ३० या ४० मील की दूरी पर बसे नगरों को पानी पहुंचा सकते हैं ।

राज्य पुनर्गठन के पश्चात् मंत्रालयों और सचिवालयों में प्रदेशवाद की समस्या पैदा हो गई है । यदि आप राजस्थान में पंच वर्षीय योजना के व्यय के आंकड़ों पर ध्यान दें तो पता लगेगा कि मंत्री अथवा मुख्य मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में और व्यय की गई राशि में कुछ विचित्र सम्बंध है । मैं आग्रह करता हूं कि भारत सरकार और यह सभा उन व्यय के आंकड़ों को अवश्य देखे । यदि हम अपने देश का निर्माण उच्च परम्पराओं पर करना चाहते हैं और राज्यों को संगठित रूप में देखते हैं तो हमें प्रदेशवाद की भावना पर काबू पाना चाहिये ।

मंत्रिमण्डलों के जल्दी जल्दी टूटने के कारण कतिपय राज्यों की प्रगति में रुकावट पैदा हुई है । राजस्थान उन में अग्रगण्य रहा है । ऐसी स्थिति को रोकना केन्द्रीय सरकार का कर्त्तव्य है ।

भारत का भविष्य भव्य है परन्तु हम उस लक्ष्य की प्राप्ति तभी कर सकते हैं जब हम अपने हितों की अपेक्षा देश के हितों को अधिक महत्व दें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री झुनझुनवाला : सभापति महोदय, आज हम लोगों के सामने एक अन्तरिम बजट (आय-व्ययक) पेश किया गया है। पूर्ण रूप से इस वक्त इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। जब पूरा बजट पेश किया जाएगा तभी विस्तार से इस पर कुछ कहा जाएगा।

आज यहां पर फैडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (वाणिज्य और उद्योग के भारतीय मंडलों के संघ) की मीटिंग थी। वहां पर हमारे प्रधान मंत्री जी गए थे। मुझे भी वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ। फैडरेशन (संघ) के प्रैसीडेंट साहब ने अपनी तकरीर में इस चीज का जिक्र किया कि हमारे ऊपर टैक्सों का बहुत बड़ा बोझा लाद दिया गया है जिससे कि हम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। इसका एक बहुत हो माकूल जवाब प्रधान मंत्री जी ने दिया। उन्होंने कहा कि यह ठीक हो सकता है कि बोझा बहुत लाद दिया गया है और इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत भी हो सकती है। लेकिन आपको चाहिये कि आप ८०—९० प्रतिशत लोगों की दिक्कतो को भी समझें और उनकी दिक्कतें और उनकी तकलीफें भी आपके मन में हमेशा रहनी चाहियें। आप जो भी काम करें, उसे करते वक्त इनके दुख तकलीफों को हमेशा अपनी दृष्टि में रखें और इनको अपनी आंखों से ओझल न होने दें। अगर आपने यह दृष्टिकोण अपनाया तो आपको यह बोझा बहुत बड़ा बोझा महसूस नहीं होगा। आपको मालूम ही है कि आप जो टेक्स दे रहे हैं वह इसलिए दे रहे हैं कि उनका उपयोग करके हमारा देश ऊंचा उठे।

हम जनता के प्रतिनिधि हैं और उसकी भलाई के कार्य करना ही हमारा कर्त्तव्य है। पांच वर्षों तक किसी के भी राज्य का बना रहना और न बने रहना इन्हीं लोगों पर निर्भर करता है। इस वास्ते यदि उन पर जो बोझा है उसको आप देखेंगे तो यह बोझा आपको बहुत हल्का महसूस होगा।

हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में इस बात का संकेत दिया है कि टैक्स और भी लगेंगे। मुझे इससे जरा भी घबराहट नहीं है। पंच वर्षीय योजनाओं को सफल बनाने के रास्ते में जो जो दिक्कतें आती हैं जैसी कि दामों के बढ़ जाने की है, फारेन एक्सचेंज (विदेशी मुद्रा) की कमी है, प्राकृतिक कारणों से या दूसरे कारणों से प्रोडक्शन (उत्पादन) में कमी होती है, जैसे कि वर्षा के न होने के कारण हो सकती है, ये सब तो आती ही रहेंगी। इनसे हम लोगों को हताश नहीं होना चाहिये। असली चीज जो देखने की ह वह यह है कि हम जो रुपया टैक्सों के जरिये से वसूल करते हैं और जो कार्य कर रहे हैं, वे ठीक से खर्च होते हैं और काम ढंग से चल रहे हैं या नहीं। अगर सब कार्य ठीक ढंग से हो रहे हैं तब तो ठीक ह और अगर कहीं कोई त्रुटि है, तो उसको आपको ठीक कर देना चाहिए और उसमें सुधार कर देना चाहिए। हम सब यह कहते हैं, अशोक मेहता साहब कहते हैं, तुलसी दास जी कहते हैं और दूसरे मेम्बर साहिबान कहते हैं कि हमारा देश तभी तरक्की कर सकता है, तभी उन्नति कर सकता है, जब जनता का सहयोग हमें प्राप्त हो। मैं उन लोगों से यह पूछना चाहूंगा कि जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा कि ८०—९० प्रतिशत जनता की हजारों दिक्कतें हैं। और यह सही भी है, तो ऐसी सूरत में किस तरह से उसका सहयोग हासिल किया जा सकता है। आप किस तरह से उनका सहयोग चाहते हैं, यह मैं समझना चाहता हूं। मैं इस चीज को अपनी सरकार और वित्त मंत्री जी से पूछना चाहूंगा। इस समय चुनाव के वक्त हम को गांवों में जाने का मौका मिला। यह तो इतना भय नहीं था कि चुनावों में हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी परन्तु इस समय जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो वह अपने सारे दुःख हम को बतलाती है, और इस में दिलचस्पी लेने के नाते बराबर डेढ़ महीने तक हम लोग जाते रहे। मैं ६ बजे सुबह निकलता था और रात को ८, १० बजे वापस आता था। उन की दिक्कतों का ब्योरा यहां पर देना तो मुश्किल है क्योंकि बहुत समय लगेगा, लेकिन उन की हर एक बात का उत्तर देना भी बड़ा कठिन था। यहां पर हमारी सरकार कहती है और तुलसी दास जी ने भी

[श्री झुनझुनवाला]

कहा कि हम को उन लोगों का सहयोग चाहिए । जनता के लोगों ने हम से पूछा कि बतलाइए हम किस तरह से आप को सहयोग दें । हम को खाने की दिक्कत है, कपड़े की दिक्कत है, अनेकों दिक्कतें हैं, यहां तक कि गांवों में हम को स्वास्थ्य कर साफ पानी भी पीने को नहीं मिलता । आज हम को ऐसा पानी चाहिए जिस को पी लें, लेकिन वह भी नहीं मिलता, आप बतलाइए कि आप क्या सहयोग चाहते हैं । हम काम करना चाहते हैं, लेकिन हम को काम नहीं मिलता । हमारे पास जमीन नहीं है कि हम जा कर ज़ोतें और कुछ पैदा कर के खा सकें । हम बहुत कुछ बतलाने की चेष्टा करते थे कि हमारी सरकार ने फर्टिलाइजर फैक्ट्री (उर्वरक कारखाना) खोली है, इतने बड़े बड़े डैम (बांध) बनाए हैं, इतनी इतनी इंडस्ट्रीज (उद्योग) चलाई हैं, कपड़े बना रही है, सब कुछ कर रही है, यह सब कुछ आप के दुःख को दूर करने के लिए हो रहा है । उन्होंने कहा, ठीक है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम पर तो इस का कोई असर नहीं पड़ता है जिस से कि हम कह सकें कि हमारा कुछ लाभ हुआ है । कुछ आप सरकार की ओर तो देखिए । हमारी सरकार कहती है नौकरी देने के लिए और लोगों को इम्प्लायमेंट (रोजगार) देने के लिए । द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कहा गया है कि हम इतने अधिक आदमियों को एम्प्लायमेंट देंगे । ठीक है वे एम्प्लायमेंट देंगे, लेकिन अगर कहीं पर जगह होती है तो उस के लिए हजारों ऐप्लीकेशन्स (प्रार्थनापत्र) आती हैं । लोग दौड़ कर एम० पीज और एम० एल० एज के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेहरबानी कर के हमारी सिफारिश कर दें क्योंकि आज कल सिफारिश का ही जमाना है । यदि आप जरा सी सिफारिश कर देंगे तो हम को नौकरी मिल जाएगी और हम अपने बाल बच्चों को कुछ खिला सकेंगे । सुन कर दुःख होता है, तकलीफ होती है । हम कहते हैं कि भाई तुम यह विश्वास करो कि यदि हमारे लिखने से कुछ हो सकता तो हम जरूर लिख देते हैं। आज जनता में इस प्रकार का डिमारलाइजेशन फैल गया है कि काम खोजने के लिए उन को हजारों लोगों की खुशामदें करनी पड़ती हैं । भले ही यह सच हो या झूठ लेकिन यह भाव लोगों में फैल गया ह, बिना सिफारिश के नौकरी नहीं मिल सकती। सरकार को इस की ओर ध्यान देना चाहिए। अक्सर यह कहा जाता है कि यह चीज तो पब्लिक सर्विस कमिशन (लोक सेवा आयोग) के हाथ में है, यह वहां ही जाएगी, आप भी यही कहते हैं, लेकिन वहां पर भी सिफारिश चलती है ऐसी जनता की धारणा है । मैं अधिक इस बारे में नहीं कहना चाहता और जब जनता में यह भावना हो कि कोई भी काम बिना सिफारिश के नहीं हो सकता तो आप खुद सोचिए कि हमारे इस कहने का कोई मतलब नहीं है कि ऐसा नहीं ऐसा है । अब सरकार को यह देखना है कि जनता के अन्दर जो भाव है, उसकी जो राय है उसे किस तरह से परिवर्तित किया जा सकता है । सरकार को इस बात के ऊपर पूरी तौर से ध्यान देना चाहिए । लोग कहते हैं कि आप कोआपरेशन (सहयोग) करने के लिए कहते हैं, लेकिन हम को खाने के लिए नहीं मिलता, पहिनने के के लिए कपड़ा नहीं मिलता और पीने के लिए पानी नहीं मिलता, हमारे लिए काम करने का मौका नहीं है, तो हम किस तरह से कोआपरेशन करें । ८० परसेन्ट (प्रतिशत) लोगों का यह हाल है, हां, २० परसेन्ट जो लोग हैं उन के पास थोड़ा बहुत है, मिड्ल क्लास पीपुल (मध्य वर्ग के लोग) हैं उन के पास थोड़ा बहुत काम है, लेकिन जमाने को देखते हुए उन की हालत भी बहुत बुरी है और वे भी यही सोचते हैं पर वे भी कोई आराम नहीं पाते हैं । सेशन खत्म होने के बाद मैं फिर वहां पर जाना चाहता हूं और मैं उन लोगों से डेफिनिट (निश्चित) प्रपोजल्स (प्रस्ताव) लाऊंगा कि वह किस तरह की बातें चाहते हैं और मौका मिला तो मई के महीने में उन की बातों को सुनाऊंगा । जैसे हमारे इंस्ट्रियलिस्ट (उद्योग-पति) लोग हैं, वे समझते हैं कि हम ने खूब धन पैदा कर लिया और इतना डिविडेंड (लाभांश) दे दिया, हम तरक्की पर हैं, उसी तरह हमारी सरकार भी सोचती है कि हां, हम ने बहुत तरक्की कर ली, परन्तु मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो कुछ अभी मैं ने कहा, उस का वह क्या जवाब देते हैं। मैं उन लोगों को संतोष देता हूं यह कह कर कि आज जो आप की दिक्कतें हैं, अगर आप चाहें कि वे एक दिन में मिट जाएं, तो वे एक दिन में मिटने वाली नहीं हैं, इस में कुछ समय लगेगा । मैं यह कह सकता हूं कि २०

वर्ष बाद आप की आमदनी, जैसा कि सेकेन्ड फाइव ईअर प्लैन में कहा गया है, दुगुनी हो जाएगी। हम लोग समझते हैं कि वे मूर्ख हैं, परन्तु वे मूर्ख नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम को महीने में मुश्किल से चार रुपया मिलता है, अगर हमारी आमदनी दुगुनी हो जाएगी तब भी तो आठ ही रुपए महीना रहेगी। उतने से क्या होगा ? कभी कभी हम लोग कम्प्लेसेंट (संतुष्ट) हो जाते हैं और अपने मन में यह धारणा बना लेते हैं कि अगर आमदनी बढ़ जाएगी तो हमारा देश तरक्की पर है। ठीक है यह भी एक रास्ता है जिससे देश तरक्की पर हो सकता है परन्तु इस के साथ साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि जब तक आप उनकी मूल दिक्कतों को दूर नहीं करेंगे तब तक आप का यह कहना कि जनता का हम को सहयोग मिले, यह केवल आशा में रह जाएगा, आपको दिल से इस पर भी संदेह होने लगेगा कि आप को कई एक ऐसी स्कीम्स लेनी पड़ेंगी जिन से कि २० वर्ष तक उन की आमदनी चार रुपए से आठ रुपए ही नहीं बल्कि उनको काम आसानी से मिलने लगे और आमदनी ऐसी होने लगे, उनको इतना काम मिलने लगे जिससे कि उन को खाने पीने, कपड़े पहनने और स्वस्थ रूप से रहने की पूरी सामग्री मिल जाए। लेकिन जो प्लैन इस वक्त हमारे सामने है उस से तो कम से कम यह बात अभी नजर नहीं आती।

हो सकता है यह बात ठीक हो, परन्तु वह बात नजर में नहीं आती। सरकार को उन लोगों को य सब बातें समझानी है यदि वह उनका सहयोग चाहती है। जैसा कि मैं ने कहा, हर एक आदमी ने अपनी तरफ से कह दिया कि सबसे ज्यादा प्रायरिटी यह होनी चाहिए, ऐसी एक चीज है परन्तु एक छोटी सी चीज है जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिलता है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि सब से बेसी प्रायरिटी (प्राथमिकता) यह होनी चाहिए कि हर एक गांव में लोगों के लिए पीने के खास कर स्वच्छ पानी का प्रबन्ध होना चाहिए।

जैसा कि मैं ने शुरू में कहा, इस समय मैं विस्तार से कुछ नहीं बतलाऊंगा, बाद में विस्तार से बोलूंगा। हमारी सरकार ने कुछ दिक्कतें बतलायी हैं। फारिन एक्सचेंज की दिक्कत है, इनफ्लेशन (मुद्रा स्फीति) है, तथा रुपया कहां से आवे ताकि हमारा काम चले, ये सब दिक्कतें सरकार ने बतलायी हैं। इन दिक्कतों का जवाब भी सरकार ने दिया है और दूसरे लोग भी कहते हैं कि देश में बचत होनी चाहिए और सब लोगों को चाहिए कि बचत करें। ठीक है। लेकिन जैसा कि मैं ने आपको बतलाया है, हमारी ८० प्रतिशत जनता तो ऐसी है कि जो बचत कर ही नहीं सकती। हमने प्रेसीडेंट (राष्ट्रपति) के ऐड्रेस (अभिभाषण) के धन्यवाद के प्रस्ताव पर अनुमोदन की स्पीच सुनी। उसमें कहा गया कि लोग अपना खाना पीना कम करें और अपनी दूसरी जरूरत कम करें। हम पार्लियामेंट के मेम्बर अपनी आवश्यकतायें बढ़ाते जाते हैं और जनता से कहा जाता है कि वह अपना खाना पीना भी कम कर दें। उनको जो थोड़ा बहुत खाना पीना मिलता है उस पर हमारा ध्यान है कि वह कम हो जाये। पर हम जो फिजूल-खर्चियां कर रहे हैं हमारा उन पर ध्यान नहीं जाता। हम जो मोटरों में चलते हैं और तरह तरह की सुविधायें लिए हुए हैं उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं गया। हम को यह बात कहने से पहले जनता के सामने अपना उदाहरण पेश करना होगा और उनको बताना होगा कि हम ने भी अपने खाने पीने में और अपनी जरूरतों में कमी कर दी है, अब तुम भी ऐसा ही करो। यदि ऐसा होगा तभी लोगों को संतोष हो सकता है। यदि हम अपनी जरूरतों को बढ़ाते चले जायें और केवल जनता से कहें कि तुम अपनी जरुरतें कम करो तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। यह आवश्यक है कि हम उनके सामने अपना उदाहरण पेश करें कि हम भी खर्च कम कर रहे हैं,तब हम उनसे कह सकते हैं कि तुम भी अपना खर्च कम करो।

फाइनेन्स मिनिस्टर (वित्त मंत्री) साहब ने अपनी स्पीच में फारिन एक्सचेंज (विदेशी मुद्रा) के बारे में कहा कि उसका डेफर्ड पेमेंट (लम्बित भुगतान) होगा। इस पर तुलसीदास जी ने कहा कि

[श्री झुनझुनवाला]

ऐसा करने से हमारा ३० या ४० पर सेंट ज्यादा खर्च होगा। यह बात वित्त मंत्री के सोचने की है। यदि वास्तव में ऐसा है तो उनको कोई दूसरा उपाय निकालना होगा।

हमारे सामने दो प्रकार के प्लान हैं। एक तो हम पब्लिक सेक्टर में रुपया लगाते हैं और एक प्राइवेट इंडस्ट्रीज पर लगाते हैं। तो अब जो गवर्नमेंट पबलिक सेक्टर पर अधिक रुपया लगाना चाहती है उसके लिए उपाय सोचना चाहिए कि लम्बित भुगतान का क्या होगा। सरकार को सारा बोझा प्राइवेट एंटरप्राइज (गैर सरकारी उपक्रम) पर ही डाल दिया जाएगा तो वे हताश हो जाएंगे। दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि हमारा जो टैक्स का बोझा है वह बेसी है। पर मैं उसकी तरफ से हताश नहीं हूं। परन्तु जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा, टैक्स रियलाइजेशन (कर की वसूली) का क्या हो रहा है? वित्त मंत्री जी ने कहा कि वह तो आप लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है? मैं समझता हूं कि यदि वे उन्हीं पर यह छोड़ देंगे तो टैक्स रियलाइजेशन में बड़ी दिक्कत होगी। सरकार को अपनी मैशिनरी ठीक करनी चाहिए ताकि जो टैक्स है वह पूरा वसूल हो सके। पर सरकार ऐसा क्यों नहीं वसूल कर सकती है यह मेरी समझ में नहीं आता।

एक बात और है। हम लोग जो रुपया प्रदेश सरकार को देते हैं उसमें यह भी देखना चाहिए कि वह रुपया किस तरह से खर्च किया जाता है। इसकी बहुत जरूरत है। हमारी सरकार बहुत रुपया फूंक रही है। सरकार बहुत से लोगों को लोन देती है लेकिन उसके मिलने में इतनी दिक्कतें हैं कि सौ रुपये का लोन लेने वाले को ५० या ७५ रुपया तो खर्च करना पड़ जाता है और बहुत दिक्कत होती है। लोगों को बहुत कम रुपया मिल पाता है, शेष दफ्तरवालों की पाकेट में चला जाता है।

इन सब चीजों की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। यदि सरकार ८० प्रतिशत जनता का सहयोग प्राप्त करना चाहती है तो उसे जल्दी से जल्दी कोई ऐसी स्कीम निकालनी चाहिए कि उसकी जो एलीमेंटरी (मूल) दिक्कतें हैं वे दूर हो जायें।

†**श्री रामानन्द दास** (बैरकपुर): प्रथम पंच वर्षीय योजना पूरी हो चुकी है। परन्तु उस से क्या प्राप्त हुआ है? कहा जाता है कि उत्पादन बढ़ गया है। ठीक है, परन्तु इस के साथ हम देखते हैं कि खाद्यान्न और कपड़े के भाव बढ़ रहे हैं। दो वर्ष पूर्व खाद्यान्न का आयात बंद किया वह फिर आरम्भ कर दिया है। खाद्यान्न समस्या हल नहीं हुई। यही हाल जीवन की अन्य आवश्यकताओं के बारे में। अतः प्रथम पंच वर्षीय योजना ५० प्रतिशत असफल हुई है।

जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् भूमि कृषकों की बजाए बड़े बड़े किसानों को मिली है। जब तक यह कृषकों को नहीं दी जाती खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती।

हम ने बहुत सी नदी घाटी परियोजनाएं पूरी की हैं और बड़े बड़े उद्योग स्थापित किये हैं। परन्तु उन से पूर्ण लाभ नहीं हुआ बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के साथ छोटी सिंचाई योजनाएं आरम्भ करनी चाहियें तभी खाद्यान्न और अन्य आवश्यकताओं के उत्पादन में वृद्धि होगी।

निस्संदेह हमने राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है परन्तु आर्थिक दृष्टि से हम अब भी परतन्त्र है। जब तक हम देश की ८० प्रतिशत ग्रामीण जनता को पर्याप्त सहायता न दें इस स्वतन्त्रता का कोई अर्थ नहीं। गांव में तो लोग भूखों मर रहे हैं, पीने का पानी नहीं, जीवन की स्थिति भयानक है।

सरकार ने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं परन्तु बेरोजगारी की समस्या हल नहीं हुई। इसे हल करने के लिए कुटीर उद्योगों को बढ़ाना चाहिए। उस से उत्पादन भी बढ़ेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

†मूल अंग्रेज़ी में

सरकार के लोकप्रिय न रहने का कारण यही है कि वह स्वतन्त्रता के दस वर्षों में लोगों को अधिक सुविधाएं प्रदान नहीं कर सकी। यदि सरकार की यही नीति रही तो यह देश के लिए बुरा ही होगा।

१९४७ में देश के विभाजन पर पश्चिमी पाकिस्तान से बहुत से लोग आए जिन में से अभी २५ प्रतिशत को भी नहीं बसाया गया। पूर्वी पाकिस्तान से ४० लाख शरणार्थी आए हैं। सरकार ने उनका क्या किया।

३ लाख शरणार्थी अभी तक शिवरों में सड़ रहे हैं और वहां प्रति व्यक्ति ८ या १० रुपये प्रति मास दिये जाते हैं। वे लोग कुत्तों और बिल्लियों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम दूसरे देशों की स्थिति के निरीक्षण के लिए शिष्टमंडल भेजते हैं, हमें पश्चिमी बंगाल में शरणार्थियों की दुर्दशा देखने के लिए संसद् सदस्यों का शिष्टमंडल भी भेजना चाहिये। वहां शरणार्थियों ने स्वयं बस्तियां बनाई हैं। उन्होंने सरकार से प्रार्थना की है कि उन्हें सुविधाएं प्रधान की जाएं परन्तु शासन की गति धीमी है और अभी तक १०० बस्तियों की भी मान्यता नहीं दी गयी।

राज्य सरकारें कभी कभी शिकायत करती हैं कि उन्हें वित्तीय सहायता बहुत देर से मिलती है मैं ने पहले भी कहा था और आज फिर कहता हूं कि केन्द्र में वित्त मंत्रालय में चार मंत्रियों की आवश्यकता नहीं। एक मंत्री कलकत्ता भेज देना चाहिये जो कि शरणार्थियों के पुनर्वास का प्रबंध करे।

चिकित्सा सहायता के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि ५० प्रतिशत शरणार्थी बीमार हैं। बहुत से लोग क्षय रोग से पीड़ित हैं और हस्पतालों में स्थान नहीं है।

कहा जाता है कि सरकार का लक्ष्य समाजवादी व्यवस्था है। परन्तु सिवाय बीमा समवायों और इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण के अभी तक पूंजीवाद का ही बोल बाला है।

मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह गरीब जनता पर और कर न लगाये बल्कि उसे चाहिये कि वह उस कर को निकालने का प्रयत्न करे जो पूंजीपति हजम कर जाते हैं। श्री कालडोर की रिपोर्ट के अनुसार यह राशि २०० से ३०० करोड़ रुपये तक फैलती है। जब तक आप इस रुपये को, बचाने का तरीका नहीं निकाल लेंगे तब तक जिस समाजवादी राज्य की आप चर्चा करते हैं वह नहीं होगा।

फिर सभी विभागों म भ्रष्टाचार भी है और उसको बंद करने की कोई व्यवस्था नहीं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

अन्तिम बात यह है कि सरकार को गरीब जनता को कुछ सुविधायें देनी चाहिए। जन-साधारण के लिये प्रारंभिक शिक्षा का मुफ्त प्रबन्ध होना ही चाहिए। छः करोड़ अनुसूचित जातियों के लोग हैं, जो कि श्री चटर्जी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार लाखों की संख्या में ईसाई बन रहे हैं। यह लोग विदेशी प्रचारकों का शिकार हो रहे हैं। सरकार का कर्त्तव्य है कि इन ६ करोड़ अनुसूचित जातियों तथा २·५ करोड़ अनुसूचित आदिमजातियों के लोगों के लिये अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करे और उनका शिक्षा-संबंधी और आर्थिक स्तर ऊंचा करे। ऐसा करके ही विदेशी प्रचारकों को हमारी स्थिति से अनुचित लाभ उठाने से रोका जा सकता है।

पंडित च० ना० मालवीय (रायसेन) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब (श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय) जो यह बजट पेश किया गया है और जो व्हाइट पेपर (श्वेत पत्र) शाया किया गया है, इसके दूसरे पैराग्राफ में लिखा गया है :—

"द्वितीय पंचवर्षीय योजना के इस प्रथम वर्ष में, जिसकी यहां समीक्षा की जाती है, पहली बार अर्थ-व्यवस्था पर जोर पड़ता दिखाई दे रहा है।"

[पंडित च० ना० मालवीय]

मेरी यह राय है कि बजट पर जो यह व्हाइट पेपर पेश किया गया है, इसमें हमारी अभी तक की उन्नति और वर्तमान स्थिति का एक सही चित्रण किया गया है। उसको एक रीयलिस्टिक वे में पेश किया गया है। लेकिन मेरा कुछ ऐसा एहसास है कि अगर हम, जो तरक्की हमने की है उसको देखें और जिस तरीके से खुद हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपनी तजवीजें पेश की हैं, उनको देखें, तो आज की फिजा में ऐसा पैसिमिस्टिक व्यू (आशावादी दृष्टिकोण) पेश करना, मैं कुछ मुनासिब नहीं समझता हूं। हमने पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत जो तरक्की की है, जो रिकार्ड हमने डिफरेंट स्फीयर्स (विभिन्न क्षेत्रों) में कायम किए हैं और जो अंदाजे हमारे लीडर साहिबान ने लोगों के सामने रखे हैं उनसे कहीं से भी निराशा की कोई झलक नहीं झलकती। उनको अगर हम गौर से देखें तो आशा का दीपक और ज्यादा चमकता नजर आता है। हां, इतना जरूर है कि बीच में स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन की वजह से और जनरल इलैक्शंस की वजह से लोगों की तवज्जह कुछ बट अवश्य गई और हमारी योजना जो आगे बढ़ रही थी, उसमें कुछ कमियां महसूस हुई और उसको धक्का लगा। लेकिन मैं समझता हूं कि उन कमजोरियों को कुछ बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। इसमें कोई शक नहीं कि उसमें कुछ खराबियां थी और उनको पेश कर दिया गया है और उनकी तरफ गवर्नमेंट का ध्यान भी है और उनको दूर करने की कोशिश भी की गई है। हमने प्रोडक्शन (उत्पादन) को बढ़ाने का और कीमतों के बढ़ने का जो अंदाज लगाया था वह पिछले साल के मुकाबले में लगाया है। लेकिन अगर हम सन् १९५२ से उनका मुकाबला करें जब से कि हमारी पंच वर्षीय योजनाओं का सिलसिला शुरू हुआ और उनके आंकड़ों का मुकाबिला आज के आंकड़ों से करें, चाहे वह एग्रीकलचरल स्फीयर (कृषि क्षेत्रों) में हों, चाहे कैश क्राप्स में हो या हमारी इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस (औद्योगिक उत्पादन) हो तो हम पायेंगे कि सन् १९५२ के मुकाबले में हम हर फील्ड में आगे नहीं बढ़ते गए हैं। किन्हीं क्षेत्रों में हमने मुसलसल तरक्की की है और किन्हीं में हम नीचे गए हैं। इसके दो कारण थे। पहला तो यह कि हमने पांच साला प्लान (योजना) में एग्रीकल्चर (कृषि) पर जोर दिया था और उसमें कम्युनिटी प्राजैक्ट्स (सामूदायिक परियोजना) और नैशनल एक्सटेंनशन (राष्ट्रीय विस्तार) के जरिये से इंटेंसिव एफर्ट (सतत प्रयत्न करने) की थी और दूसरी तरफ हमने माइनर और मेजर इरिगेशन प्राजैक्ट्स (छोटी बड़ी सिंचाई परियोजना) पर जोर दिया था। इसके अलावा हमने और भी तरीके अपनाये थे जैसे सीड देना, तकावी देना, लैंड रिक्लेम करना। इनका एग्रीकलचरल प्राडक्शन (कृषि उत्पादन) पर असर पड़ा और साथ ही कुदरत ने भी असर डाला। जब हम हर साल बजट पर गौर करते थे तो उस वक्त एक स्टेज पर आकर हमने यह महसूस किया कि अब हमें बाहर से गल्ला मंगाने की जरूरत नहीं रही और वह इस वजह से नहीं रही कि हमको अब कोई खाने की बहुत भारी दिक्कत नहीं है। हमने यह महसूस किया था कि अगर हम बाहर से गल्ला मंगायेंगे तो इसलिए कि अगर कहीं ज्यादा क्राप (फसल) फेल्योर्स (असफल) हो जायें तो उस सिचुएशन (स्थिति) का मुकाबिला करने के लिए हमारे पास गल्ला स्टाक में रहना चाहिये और हमें स्टाक करके गल्ला अपने पास रख लेना चाहिये। हमें उस वक्त यह सैल्फ कान्फिडेंस (आत्म-विश्वास) हो गया था कि हम सैल्फ सफिशेंट (आत्मनिर्भर) हैं, जहां तक कि फूड प्राडक्शन (खाद्य उत्पादन) का ताल्लुक है। लेकिन जो फिगर्स (आंकड़े) अब दीये गये हैं उन पर हमें गौर करना है। इनसे मैं यह नतीजा निकालना चाहता हूं कि यह पिक्चर बिल्कुल डिसमल नहीं है, कोई अंधेरा ही अंधेरा हमारे सामने नहीं आ गया है कि हमें यह नहीं सूझता कि हम क्या करें और कहीं ऐसा न हो कि आगे जा कर हमारी योजना बिल्कुल ठप्प न हो जाए। एक चीज को तो मैं मान सकता हूं और वह यह कि प्राइसिस जो हैं वे ऊंची जा रही हैं, एग्रीकलचरल प्रोडक्शन (कृषि उत्पादन) पिछले साल के मुकाबले में या सन् १९५४ के मुकाबले में बहुत कम है और हमारा जो फारेन एक्सचेंज है (विदेशी विनियम) है वह भी कम हो गया है। इन को देखते हुए ज्यादा टैक्स लगाने की जरूरत महसूस की गई है। इस चीज को तो मैं मानता हूं कि हम को अपनी आमदनी के जरीये बढ़ाने हैं, इम्पोर्टस (आयात) को घटाना है,

एक्सपोर्टस (निर्यात) को बढ़ाना है, फारेन हैल्प (विदेशी सहायता) या फारेन कैपिटल (विदेशी पूंजी) को हिन्दुस्तान में ला कर अपनी कमी को पूरा करना है, इन दृष्टियों से इन चीजों को पेश करना तो मैं सही मानता हूं और इस के लिए जस्टिफिकेशन (न्यायोचित) भी है। लेकिन मुझे याद है और हाउस (सदन) के मैम्बरान को भी याद होगा। कि जब से सैकिंड फाइव ईयर प्लान (द्वितीय पंच वर्षीय योजना) का मस्विदा बनना शुरू हुआ था उस वक्त से एक कंट्रोवर्सी (विवाद) बराबर चलती रही। यह कहा गया कि हमारी फिगर्स (आंकड़े) बहुत हाई (ऊंचे) हैं हमारे एस्टीमेट्स (अनुमान) बहुत हाई (ऊंचे) हैं और इनको कम किया जाना चाहिए। हमारे आनरेबल मिनिस्टर साहब (माननीय मंत्री महोदय) को याद होगा कि शुरू शुरू में यह तजवीज थी कि ९६ अरब रुपया खर्च किया जाए। लेकिन बाद में उसको घटा कर ४८ अरब के करीब कर दिया गया। इसकी क्या वजह थी। इस की एक तो वजह यह थी कि हमें हर चीज का रीयलिस्टिक व्यू (यथार्थ दृष्टिकोण) लेना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि हम रिसोर्सिस (साधन) कहां से लायेंगे। ४८ अरब का जो अंदाजा लगाया गया है उसमें १२ अरब के करीब मिल जाने की तो हमें पूरी आशा है, पूरा कान्फिडेंस (विश्वास) है। उसके बाद हम सेविंग्स (बचत) पर डिपेंड (आश्रित) करते हैं, फारेन (विदेशी) इमदाद पर डिपेंड करते हैं और इस तरह से सब मिलाकर ४८ अरब के करीब रुपया बनता है। यह तो ठीक है कि हमें इतने लम्बे चौड़े एस्टीमेट (अनुमान) नहीं बनाने चाहियें जिन को कि हम हासिल न कर सकें। इसके पीछे एक चीज यह भी है कि हम किस तरह से अपने रेवेन्यज (राजस्व) को बढ़ा सकते हैं और स्टेट्स (राज्यों) का रेवेन्यूस (राजस्व) को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। इस का एक तरीका जो हमने खोजा था वह समाजवाद की ओर जाना। अगर हम प्राइवेट एंटरप्राइज (निजी उद्योग) को प्रोत्साहन दें तो प्लांड इकोनोमीं (नियोजित अर्थ व्यवस्था) नहीं हो सकती है। इस वास्ते हमने धीरे धीरे नैशनलाइजेशन (राष्ट्रीयकरण) की ओर बढ़ने का लक्ष्य अपने सामने रखा। जाहिर है कि फ्री एंटरप्राइज में इससे खलबली मची। घनश्यामदास बिरला तथा दूसरे पूंजीपतियों ने एक स्कीम (योजना) निकाली जिस में कहा गया था कि हम बगैर सोशलिज्म (समाजवाद) की तरफ बढ़े अपनी प्रोडक्शन (उत्पादन) को बढ़ा सकते हैं और कैपिटलिस्टिक इकोमनोमी (पूंजीगत अर्थ व्यवस्था) के अन्तर्गत भी बाहर से ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पूंजी हिन्दुस्तान में ला सकते हैं। तो एक व्यू (मत) तो यह था कि हम बाहर के कैपिटल (पूंजी) को बढ़ावा दें और मदद लें और दूसरा यह कि हमें इंटरनल रिसोर्सिस (अन्तरिक साधनों) को इतना बढ़ाना चाहिये कि हमें बाहर के रुपये की ही जरुरत महसूस न हो।

तो इस तरीके से यह कंट्रोवर्सी (मतभेद) रहा और आज वह आखिर इस स्टेज पर आयी है जब कि हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम जो अपने इंटरनल रिसोर्सेज को बढ़ाकर समाजवादी व्यवस्था की तरफ जाना चाहते हैं कहीं उसमें रुकावट पैदा होनी चाहती है और हम आगे बढ़ते हुए इस उसूल से पीछे हटना चाहते हैं।

मैं यह मानता हूं कि कैपीटलिस्ट कंट्रीज (पूंजीवादी देशों) में अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है और वहां बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज मुमकिन हैं। अमरीका में बहुत कुछ हो रहा है और यूरोप के दूसरे कैपीटलिस्ट देशों में भी बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन हर देश कीं भिन्न भिन्न दिक्कत है। और उन सब देशों में दिक्कतें बराबर मौजूद हैं। अमरीका में पापुलेशन कम है और उनके इंटरनल रिसोर्सेज (आन्तरिसंसाधन) बहुत ज्यादा हैं। साथ ही साथ उनका एक्सप्लाइटिंग इकानमी है, यानी दूसरे देशों के बाजार पर उनका असर है इसलिए उनकी इकानमी बनी है। पर हम तो ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमें कैपीटलिस्ट तरीका अपनायेंगे, तो जैसा कि पंडित जी ने फारमर्स फोरम में कहा, कि अगर हम कुछ माडल विलेज बना देंगे फिर भी हमारे गांवों की उन्नति नहीं हो सकती, उसी तरह अगर हम कैपीटलिस्ट तरीका अपनायेंगे तो हमारे यहां कुछ और कारखाने हो जायेंगे और प्रोडक्शन भी बढ़ जायेगा। लेकिन

[पंडित च० ना० मालवीय]

उससे हम अपना डेवेलपमेंट नहीं मानेंगे। हमारा डेवेलपमेंट तो इसी कसौटी पर कसा जायेगा कि हम बेरोजगारी को किस हद तक खत्म कर सकते हैं और लोगों के स्टैंडर्ड आफ लाइफ (रहन सहन का स्तर) को कितना आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो सोशलिस्ट इकानमी हम अपनाना चाहते हैं उसकी तरफ जाने में, हमको इस बजट की टोन से ऐसा मालूम होता है कि रुकावट पैदा होगी। जो फिगर्स (आंकड़े) आपने मैमोरेंडम (ज्ञापन) में पेज १७९ पर दिये हैं उनसे पता चलता है कि १९५२ में राइस (चावल) का प्रोडक्शन ९०·१ था जो कि १९५५–५६ में १०९·६ हो गया। जाहिर है कि १९५१–५२ के मुकाबले में बढ़ा है। मैं इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल फिगर्स को रेफर कर रहा हूं। ये बताते हैं जो रुपया हमने खर्च किया है उसके मुकाबले में हमने तरक्की की है और हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है। प्रोडक्शन तो बढ़ा है पर इसके साथ ही साथ प्राइसेज (मूल्य) भी ऊंची गयी हैं। सिर्फ पिछले साल के मुकाबले आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है। हमें देखना यह है कि जो कुछ हमने इनवैस्ट (पूंजी लगाना) किया है उसका क्या नतीजा निकला है, उसमें क्या वैस्टेज (बरबादी) हुआ है और क्लाइमेटिक कंडीशन्स ने कहां तक हमारी मदद की है या कहां तक वे हमारे आगे आयी हैं। जाहिर है कि इस साल खरीफ की क्राप खराब हो गयी है लेकिन रबी क्राप इस वक्त बहुत अच्छी है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी रबी की फस्ल अच्छी होगी। हमारा मुल्क बहुत बड़ा है इसलिये सब जगह यकसां फस्ल तो नहीं हो सकती है। कुछ जगह हेल स्टार्म (आंधी और ओले) की वजह से नुकसान हुआ है, कुछ जगह फस्लों को बीमारी से भी नुकसान हुआ है। लेकिन फिर भी आने वाली फस्ल अच्छी होगी। आंकड़ों से इस बारे में मालूम हो जायेगा। पर इस सिलसिले में सब से बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे आंकड़े अक्सर मिसलीडिंग (गलत) होते हैं। और यह गलती विलेज लेविल पर होती है। गांवों में काम करने वाली तीन एजेंसियां हैं, एक तो विलेज वर्कर, दूसरी पंचायत और तीसरा पटवारी। यह काम ज्यादातर पटवारी करता है और यह काम राज्य सरकारों के अधीन है। सेंटर में जो फिगर्स आते हैं वह स्टेट गवर्नमेंट से आते हैं और वहां पर इनको पटवारी तैयार करते हैं। पटवारी के फिगर्स सही नहीं होते। उसकी वजह यह है कि जिस पर वह खुश होते हैं उसका नुकसान ज्यादा बता देते हैं और जिससे नाराज हुए उसका नुकसान कम बता दिया और ऐसा करने में वह इस बात का भी खयाल नहीं रखते कि सब मिलाकर उस गांव में जितना नुकसान हुआ है उस को तो ठीक ठीक बतलायें। इन गलत फिगर्स से जनता का भी नुकसान होता है और सरकार भी गुमराह होती है। जनता का तो यह नुकसान होता है कि जो लोग वाकई राहत के मुस्तहक हैं उनको राहत नहीं मिल पाती। आपने अपने व्हाइट पेपर में बताया है :

"वर्तमान वर्ष के आय व्ययक में राजस्व की आय ५२७·३९ करोड़ रु० और व्यय ५४५·४३ करोड़ रु० इस प्रकार राजस्व लेखे में १८.०४ करोड़ रु० का घाटा है। वर्ष का पूरा आय-व्ययक ३७·९४ करोड़ रु० लाभ का है।"

इसमें आपने बतलाया है कि सन् १९५६–५७ के बजट में सरप्लस रहेगा। जो आप सन् १९५७–५८ का बजट पेश कर रहे हैं उसमें २९ करोड़ का आपने डेफिसिट बतलाया है। ओवरआल डेफिसिट ३६५ करोड़ आपने बतलाया है जो कि कैपिटल एक्सपेंडीचर को शामिल करके होता है। जो एडीशनल टैक्सेशन है उसमें आपने खुद कहा है कि उसका असर आगे पड़ेगा। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को आप कंट्रोल करने वाले हैं। तो फिर क्या वजह है कि पंचवर्षीय योजना में आपको घबराहट पैदा हो गयी कि हमारे फारिन एक्सचेंज का क्या होगा और यह कि हम किस तरह से अपने यहां फारिन इनवेसटमेंट बढ़ायें। साथ ही बाहर से मदद चाहते हैं ताकि जो हमारा फारिन एक्सचेंज कम हो रहा है उसमें कमी और ज्यादा न हो। इस कमी का कारण यह है कि अभी तक आप लिबरली इम्पोर्टस की इजाजत देते रहे

हैं। इन इम्पोर्टस को घटाइये। एक समय में मैं पोलैंड में था। वहां पर अच्छी स्याही नहीं मिलती थी। बतलाया गया कि जो स्याही वहां बनती थी उसी से काम लिया जाता है और अच्छी स्याही बाहर से नहीं मंगायी जाती थी। अगर हमारे यहां फारिन एक्सचेंज (विदेशी विनियम) की दिक्कत है तो हम भी अपने यहां बनी स्याही इस्तैमाल करेंगे लेकिन बाहर से अच्छी स्याही नहीं मंगायेंगे, हम बाहर से ब्लेड्स नहीं मंगायेंगे और अगर हमारे देश में ब्लेड्स की कमी होगी तो रोजाना शेव न करेंगे, पर जब करेंगे तो अपने यहां की ब्लेड से ही करेंगे। आप लग्जरी की चीजें जैसे यूडीकालोन वगैरह मंगाना बन्द कर सकते हैं। इस तरह से आप फारिन एक्सचेंज को बचाने की कोशिश कीजिये। हम हैवी इंडस्ट्रीज को बढ़ाना चाहते हैं। जाहिर है कि उनकी जरूरत को हम नहीं रोकना चाहते। पर इन मामूली चीजों के इम्पोर्ट को तो हम को एकदम रोक देना चाहिए। इसके साथ ही साथ हम को अपने ट्रेड रिलेशन्स (व्यापार संबंध) ऐसे देशों से बनाने चाहिए जो कि हमारी चीजों को भी लेने को तैयार हों और हम भी उन की चीजों को खरीदें।

एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर आज बहुत जोर है। इस बारे में मैं कुछ सुझाव आपके सामने पेश करना चाहता हूं।

एक तजवीज अभी आप के सामने रक्खी गई, वाक़ई मैं इस तजवीज का समर्थन करता हूं कि इस तरह से आप ने जनता में सस्पेंशन फैला रक्खा है वह अच्छा नहीं है। हर आदमी के पास लैंड (भूमि) है, लेकिन वह पड़ी हुई है क्योंकि वह समझता है कि इस को डेवेलप करूं या न करूं, पता नहीं कल सीलिंग ३० एकड़ होती है या ५० एकड़ होती है। इसलिए जहां मैं सीलिंग (अधिकतम सीमा) की पालिसी का समर्थन करता हूं वहां उस के खिलाफ भी कहना चाहता हूं कि आप ने उस को कोल्ड स्टोरेज में लारक्खा है। उस की तरफ गवर्नमेंट कोई कदम नहीं उठा रही है। लोकल राजनीति की दृष्टि से या अपनी पालिसी की दृष्टि से। सेन्ट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इस चीज को साफ करना चाहिए। सेकेन्ड फाइव ईयर प्लैन में आप ने कहा कि आप लैंड रिक्लेमेशन (भूमि को कृषि योग्य बनाना) करेंगे, ऐग्रिकल्चरल डेवेलपमेंट करेंगे, लेकिन अगर देखा जाय तो आप उस पर ठीक से अमल नहीं कर रहे हैं। आप भोपाल को ही ले लीजिए, वहां पर तीन लाख एकड़ जमीन रिक्लेम हुई, लेकिन उस में से अधिकतर प्लाऊ अप नहीं हो सकी है। बहुत से लोगों ने लैंड को बेकार कर रक्खा है। वह दुविधा में हैं कि पता नहीं कर आप डेवेलप करें या न करें। अगर एक बार यह तय किया जाय कि सीलिंग करनी है, तो उस को कर डालिए। मालूम नहीं लैंड का कंसालिडेशन (चकबंदी) हो रहा है या नहीं, आप उस को कर डालिए। आप ने इंटेंसिव कल्टिवेशन के लिए रूरल क्रेडिट की बात कही है, लेकिन सब जानते हैं कि उस के ऊपर अमल नहीं हो रहा है। आज हिन्दुस्तान का किसान कोई चीज मुफ्त नहीं लेना चाहता, लेकिन यह जरूर चाहता है कि अगर उस को ऐग्रिकल्चरल इम्प्लिमेंट्स (कृषि के औजारों) की जरूरत है तो वह उस को वक्त पर मिलना चाहिए। जंगलों का हाल यह है कि किसान को वक्त पर लकड़ी नहीं मिलती, जिस से उस को परेशानी होती है। कोई भी चीज उस को वक्त पर नहीं मिलती है, बीज नहीं मिलता है, वहां पर कोई साहूकार नहीं है, कोई इंस्टिट्यूशन नहीं है जिस से उस को बीज मिल सके। उस को इम्प्रूव्ड (अच्छे किस्म के) बीज न दिया जाय लेकिन कम से कम ऐसा तो दिया जाय कि वह अपने खेत में उस को डाल सके। नतीजा यह है कि जमीन खराब हो रही है। जहां ड्राइ खेती होती है वहां पर, अगर वक्त पर बीज नहीं गिरेगा तो नहीं उगेगा या अगर मामूली तौरसे दसगुनी फसल पैदा होने वाली है होगी तो छःगुनी या चौगुनी ही होगी। कहा गया कि हम फर्टिलाइजर (उर्वरक) देंगे अक्सर सुना गया कि हम इतना फर्टिलाइजर देने वाले हैं, लेकिन जब खेत जोत चुका, बो चुका तब उस के यहां फर्टिलाइजर पहुंचता है। अगर नहीं चाहिए तब भी तुम को फर्टिलाइजर लेना ही पड़ेगा, कीमत तुम को अदा करनी ही पड़ेगी। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप इन चीजों की मदद लोगों को देना चाहते हैं तो ठीक से देना चाहिए। अगर प्लैनिंग आप को देश में चलानी है तो आप को वक्त के अन्दर इन चीजों को देने की जरूरत है।

[पंडित च० न० मालवीय]

इस के बाद किसान को पैसे की जरूरत होती है। गल्ले की जो मार्केटिंग है वह भी प्रापरली नहीं हो रही है। किसान को गल्ले का सही पैसा नहीं मिलता। जब उस का गल्ला तैयार होता है तो उस की कीमत गिर जाती है और उस के बाद उस को वही गल्ला मंहगे दाम पर लेना पड़ता है। जब आप रेवेन्यू वसूल करते हैं तो किसान को मजबूर हो कर गल्ला बेचना पड़ता है। इस सिलसिले म स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को ही ध्यान देना चाहिए। जब आप रेवेन्यू वसूल करते हैं तो उसका गल्ला सस्ता बिकता है, और उस को नुकसान होता है। अगर आप सही तरीके से वसूल करें तो उस की जो गल्ले की कीमत है वह ज्यादा मिल सकेगी।

आपने ज्यादा एफिशिएंसी और एकानमी की तरफ ध्यान दिलाया है और इस सिलसिले में प्लैनिंग कमिशन की तरफ से जो कमेटी बैठने वाली है मैं उस का स्वागत करता हूं। लेकिन मैं यह महसूस करता हुं कि आप ने जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स और स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई है उस से आप ने यह उम्मीद की है कि वह प्रोजेक्ट्स में जा कर उस की देखरेख कर और निगरानी करें उस से काम नहीं चलेगा, मेरा खयाल है कि मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स इतने बिज़ी हैं कि वह किसी और काम की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देसकते। इस लिए अगर आप को पुराने प्रोजेक्ट्स की निगरारी करनी है या नई प्रोनजेक्ट्स की देख भाल करनी है तो आप को इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ऐसे आदमियों की कमेटी बनानी चाहिए जो उस चीज को जानते हों और उस की सही जांच कर के आप के सामने उस को पेश कर सकें।

वेजेज (मंजूरी) के सिलसिले में अभी किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं उस के मुताल्लिक आप के सामने एक तजवीज रखना चाहता हूं। एफिशिएंसी और एकानमी के सिलसिले में आप ने वेजेज की जो पालिसी बनाई है उस में आप ने वेजेज तो मुकर्रर की हैं, लेकिन मेरी तजवीज यह है कि आप काम के नार्म्स मुकर्रर कीजिए, चाहे वह आपकी सेक्रेटेरियट के काम हों चाहे विलेजेज के काम हों, या इंडस्ट्रीज के काम हों। गवर्नमेंट, एम्प्लायर और एम्प्लायीज, इन तीनों के रिप्रेजेन्टेटिव्ज (प्रतिनिधि) बैठ कर हर काम के कुछ नार्म मुकर्रर करें कि इतने घंटों में इतना काम हो सकता है, और नार्म के मुताबिक हमें वेजेज फिक्स करनी चाहिएं। इस तरह से अगर दफ़्तर छः घंटे का होता है तो यह देखना चाहिए कि जितना काम उतनी देर में होना चाहिए वह हुआ या नहीं, यह नहीं कि इतनी देर आदमी बैठा या नहीं या इतनी देर में वह इतनी इतनी जगह घूमा या नहीं। इस के साथ ही साथ यह भी होना चाहिए कि जो ज्यादा काम करे उसे उतना ही ज्यादा देना चाहिए। अगर कोई आदमी पूरा काम न करे तो उस की वेजज फ्रीज कर दी जाएं। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट्स (उद्योगपति) इस तरह से काम करेंगे, आप इस तरह से काम करेंगे तो मेरा ऐसा ख्याल है कि आप का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, अच्छी उपज होगी और हमारी प्लैन अच्छी तरह से कामयाब हो सकेगी।

†**श्री म० कु० मैत्र** (कलकत्ता-उत्तर-पश्चिम): श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, जैसा श्वेत पत्र में दिया गया है, हमारे यहां अनाज की उत्पादन कम हुआ है। ऐसी स्थिति में हम घाटे की अर्थ व्यवस्था पर कैसे चल सकते हैं। हम सुनते आये हैं कि प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा सिंचाई की जो सुविधायें दी गयी हैं, उससे खाद्य नीति स्थिति सुधरी है। परन्तु अब पता चलता है कि सिंचाई योजनाओं का परिणाम आशा के अनुसार नहीं हुआ है। प्रकृति की कृपा से ही उत्पादन अच्छा हो गया था। मुझे खेद है कि अभी तक एक मास पूर्व जो आश्वासन नेताओं ने लोगों को दिये थे इस बचट में एक को भी पूरा नहीं किया। एक बार फिर कांग्रेस वायदे तोड़ने की परम्परा पर चलने की कोशिश करेगी। सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट हमारी वित्तीय स्थिति का चित्र है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि वह जनता पर और किसी प्रकार का कर भार नहीं डालेंगे। जनता का अर्थ धनी लोग नहीं अपितु गरीब जनसाधारण से हैं।

† मूल अंग्रेजी में

अब मैं पूर्वी बंगाल से आ रहे विस्थापितों का मामला लेता हूं। पुनर्वास मंत्रालय की रिपोर्ट में बड़े सुन्दर शब्दों में लिखा है कि यह माननीय सदस्य है और देश के साधनों के अनुसार ही शीघ्र उनका पुनर्वास हो जाना चाहिए। उनके रहने के लिए घर, खेती के लिए भूमि, काम के लिये उद्योगों की व्यवस्था होनी चाहिए। उनके लिये स्कूल और अस्पताल होने चाहिए। पश्चिमी बंगाल, आसाम और त्रिपुरा प्रशासन ने इस कार्य के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। परन्तु इस रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि केन्द्रीय सरकार क्या कर रही है।

स्थिति यह है कि १९५० में ५० हजार मुस्लिम पाकिस्तान चले गये थे। गड़बड़ के बाद वे वापिस आ गये। इस बीच उनको झोंपड़ियां औरों ने ले ली। यदि सरकार उन्हें कोई स्थान दे तो वे लोग झोंपड़ियां छोड़ने को तैयार हैं। सरकार गत सात वर्षों में उनके लिए कोई स्थान की व्यवस्था नहीं कर सकी। भौगोलिक स्थिति के कारण लोहा और इस्पात कलकत्ते में सस्ता था, तो कलकत्ते के चारों ओर छोटे छोटे कारखाने थे। सरकार ने लोहे की कीमतें बढ़ा दीं और इस प्रकार इस विकसित हो रहे उद्योग को काफी हानि हुई। साथ ही बेकारी भी बढ़ी जो कि पश्चिमी बंगाल में चरम सीमा पर है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह कलकत्ते के आस पास लोहे और इस्पात का मूल्य कम करने पर विचार करें।

काम समाप्त होने पर लगभग २०,००० लोगों की दामोदर घाटी निगम से छटनी कर दी गयी है। योजना मंत्री से इस बारे में प्रार्थना की गयी। गत सितम्बर में यह आश्वासन भी दिया गया कि २००० लोगों को पश्चिमी बंगाल में खपा दिया जायेगा, परन्तु अभी तक एक व्यक्ति भी नहीं खपाया गया। खाद्य विभाग के क्षेत्रीय निर्देशालय से भी शिकायतें आई कि वहां भी कुछ ऐसी स्थिति है। खाद्य मंत्री से मिला गया, परन्तु अभी तक कुछ नहीं हुआ।

कलकत्ते में समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम लागू हैं। इसके अन्तर्गत सोने के छोटे छोटे व्यापारियों को परेशान किया जाता है। जहां जरूरत हो अधिकारियों को अवश्य आवश्यक पग उठाना चाहिए, परन्तु निर्दोष लोगों को तो तंग नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े लोगों को जिनके पास वास्तव में सोना है, कुछ नहीं कहा जाता और छोटों को तंग किया जाता है। अधिकारियों से कहा गया किन्तु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया।

अब शिक्षा को लीजिये, कलकत्ता में पांच कालिज हैं, जिसमें ३५,००० विद्यार्थी हैं। विश्व विद्यालय अनुदान आयोग को कहा गया कि इन कालिजों की सहायता करिये, ताकि अतिरिक्त कालिज खोले जांय। परन्तु आयोग ने यह कह कर असमथता प्रकट कर दो कि यह हमारा काम नहीं। मेरी प्रार्थना है कि विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्र का विस्तार होना चाहिए ताकि विश्व विद्यालयों के साथ साथ सम्बद्ध कालिजों की भी सहायता हो सके और विद्यार्थी तथा शिक्षक अपनी और इन कालिजों की स्थिति सुधार सकें।

श्री गिडवानी कहते हैं कि भ्रष्टाचार रोकने के प्रयत्न हो रहे हैं। अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत करता हूं। परन्तु अभी हाल ही के चुनावों में हमने देखा है कि दल गत प्रचार के लिये भी प्रधान मंत्री और अन्य मंत्री सरकारी कारों का प्रयोग करते रहे हैं। श्री जवाहरलाल कांग्रेस का प्रचार कर सकते हैं। परन्तु वह हर जगह बतौर प्रधान मंत्री जाते रहे। कलकत्ता में वह उनकी कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य राजभवन में रहे और शायद उनका खर्चा भी राज्यपाल के खर्चे में से हुआ। ऐसी हालत म भ्रष्टाचार कैसे दूर हो सकता है।

†**श्री म० र० कृष्ण (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)** : उपाध्यक्ष महोदय मैं बड़ी बातों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मैं केवल वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि देश के कई भागों में लोग जीवन की आवश्यकताओं तक के लिए दुःखी हो रहे हैं। हम जानते

† मूल अंग्रेजी में

[श्री म० र० कृष्ण]

हैं कि हमारी सरकार कल्याणकारी राज्य की स्थापना चाहती है। परन्तु जहां खाने के लिए भी काफी अनाज न हो वहां समाजवादी आधार पर समाज कैसे स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए "उपज बढ़ाओ" योजना बनी। प्रथम योजना में छोटे बड़े सभी कृषकों की इस लक्ष्य के लिए सहायता की गयी। दूसरी योजना के अन्तर्गत औद्योगिक उन्नति और विकास का कार्यक्रम बनाया गया, ताकि जनता का लाभ हो सके।

सामूदायिक परियोजनाओं के संबंध में हम बहुत कुछ प्रशंसात्मक बातें सुनते हैं। राष्ट्रीय योजना विस्तार सेवा क्षेत्रों में अच्छा काम हो रहा है। सिंचाई के समुचित ढंग अपनाने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती है, ताकि उत्पादन बढ़ सके। मैं ने देखा है कि अधिकतर सामाजिक कार्यकर्ता और अधिकारी सामूदायिक परियोजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों की ओर ही ध्यान दे रहे हैं, और बाकी सब की उपेक्षा कर रहे हैं। करीम नगर में भी यही हुआ। यहां के लोगों को औषधियां चाहिए थी, मैं ने इस के लिए राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों से अपील की। परन्तु अब जब मैं चुनाव के लिये वहां गया तो वहां के लोगों की शोचनीय अवस्था देखी। वे दु:खी थे परन्तु दवाइयां उन के पास नहीं थी। डाक्टर तो वहां कभी गये ही नहीं थे। यह लोग बड़ी बड़ी नीति की बात नहीं समझते। जो भी दल यहां औषधियों की व्यवस्था कर देता उसे उनके वोट लेने में कोई कठिनाई न होती वे यही चाहते हैं कि उनकी बीमारियां कम हों, उन्हें पहली और दूसरी योजना का कोई ज्ञान नहीं।

सभी अधिकारियों का योजना क्षेत्रों पर ही ध्यान दिया जाना और बाकी सब की उपेक्षा करना ठीक नहीं। और भी लोगों की ओर से यह शिकायत रही है कि इन क्षेत्रों में जितना रुपया खर्च किया गया है, उतना उनसे लाभ नहीं हुआ। मुझे विश्वास है कि यदि अन्य क्षेत्रों को सरकारी देख रेख में इससे आधा रुपया भी दिया जाता तो वह इससे कहीं अधिक उन्नति करता। और बिना अधिक दिखाने और शोर के अच्छा काम हो जाता।

मैं हरिजन हूं, और मेरा विचार था कि सामूदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों से ग्रामों में रहने वाले हरिजनों का भी लाभ होगा। उन्हें उन्नति के सभी साधन प्राप्त होंगे, परन्तु खेद है कि हरिजनों की उपेक्षा ही की गयी। यहां तक कि हिरजनों के लिये अलग कुओं की व्यवस्था की गयी। यह तो संविधान की भावना के सर्वथा विरुद्ध है। यदि अनुसूचित जातियों वाले अलग कुछ मांगें भी, तो प्रशासन उसकी व्यवस्था क्यों करे? यह तो ठीक है कि हरिजन अब अधिनियम के अनुसार अपने पूरे अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। अनिवार्य श्रम तो अवैध हो गया है। चुनाव के अवसर पर हमने लोगों से कहा कि उन्हें इन अधिनियमों का पालन करना चाहिए, जिनके द्वारा उन्हें कई मौलिक अधिकार प्राप्त हुये हैं।

हरिजनों के लिए स्कूल है, परन्तु शताब्दियों के दबाव के कारण; वे अपने बच्चे वहां भेजते ही नहीं। अभी ऐसी बातें चल रही हैं फिर पटवारी यह कहता है कि स्कूल में तुम बच्चे नहीं भेज सकते, क्योंकि वहां ऊंची जाति के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। हरिजन चाहें भी तो हमें अलग स्कूल और अलग कुएं की भावना को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए।

कल कुछ प्रमुख सदस्यों ने कहा कि देश के ८० प्रतिशत लोग देश की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत हो रहे विकास कार्यों से अपरिचित हैं। श्री अशोक महता ने इस बात पर जोर दिया कि यदि हम दूसरी योजना को सफलता से कार्यान्वित करना चाहते हैं, तो हमें जनता को सब कुछ बताना चाहिए, क्योंकि जनता को ही तो सरकार के काम का समर्थन करना है। ९० प्रतिशत लोग कुछ नहीं कहते। वैसे वे सरकार और कांग्रेस की सहायता करना चाहते हैं। आल इंडिया रेडियो ने एक रेडियो बनाया है जो मिट्टी के तेल से चलता है। हमें चाहिये कि इस प्रकार के रेडियो को बनाने में प्रोत्साहन दें और जनता

में प्रचार करने के लिये उसको काम में लाने की कोशिश करें। लोगों में शिक्षा का नितान्त अभाव है। इसी अभाव के कारण हो पंच वर्षीय योजनाओं के मार्ग में रुकावटें हैं। सभी वर्गों म अनुशासन का स्तर गिर गया है। और इस स्थिति में भो सरकार को समुचित सहयोग प्रोप्त नहीं होता। सरकार को कुछ रुपया खर्च करके ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि लोगों को देश की हालत का ज्ञान होता रहे। इससे ग्रामों का सुधार होगा और सरकार को भी अधिक सहयोग प्राप्त होगा।

गरीबों के आवास पर मैं प्रायः बोलता रहा हूं। सरकार ने लोगों को १० हजार, २० हजार के कर्जे घर बनाने के लिये दिये परन्तु झोपड़ियों में रहने वाले ग्रामीणों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वे तो अपना मकान एक ही हजार में बना सकते हैं। जब कि गांव वालों की समस्या हल नहीं हो जाती तब तक नगरों में मकानों के बनाने के लिये बड़े बड़े कर्जे देकर रुपया खर्च नहीं किया जाना चाहिये। वित्त मंत्री महोदय को ग्रामीण आवस के लिये काफी रुपये की व्यवस्था करनी चाहिये और नगरों में ही घर बनाने की नहीं सोचते रहना चाहिये। यदि स्थिति ऐसी रही तो लोग यह मांग करेंगे कि ग्रामीण आवास की समस्या को हल करने के लिये अलग मंत्रालय का निर्माण किया जाये।

†**श्री मात्तन** (तिरुवल्ला) : मैं भारतीय नौवहन के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् ही इस समस्या की ओर हमारा ध्यान अधिक गया है। अंग्रेजों ने इस मामले में हमारी कुछ सहायता नहीं की। १९४७ में नौवहन नीति समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ लक्ष्य निर्धारित किये। हमारी सुरक्षा और अर्थ व्यवस्था के लिये नौवहन बड़ा आवश्यक है। समुद्र शक्ति कम होने के कारण ही तो भारत विदेशी सत्ता के कब्जे में आ गया था और इसी अभाव के कारण गोआ हमारे नियन्त्रण से बाहर रह गया।

भारत के विदेश व्यापार में काफी उन्नति हुई है और यह कुल समुद्रीय व्यापार का ३३ प्रतिशत है। परन्तु हमारा कुल टन भार आधा प्रतिशत भी नहीं। १९५० में हमें जिस मूल्य में जहाज मिल जाता, उससे आज मूल्य चार गुणा अधिक है। १९५० में केवल खाद्यान्न लाने में हमने १०० करोड़ खर्च किये। इस विषय पर और भी आंकड़े देने का आश्वासन मंत्रालय की ओर से दिया गया था, परन्तु इस प्रकार की कोई व्यवस्था अभी तक हुई नहीं।

वित्त मंत्री जानते हैं कि योजना काल में केवल भाड़े पर हमको २०० से ३०० करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। उन्होंने गत वर्ष इस सम्बन्ध में योजना आयोग के किसी इस सम्बन्ध में योजना आयोग के द्वित्तीय पंच वर्षीय योजना के ९,००,००० टन के लक्ष्य पर विचार प्रकट करते हुये कहा था कि हमें कम से कम ५६ जहाज चाहिये। तभी हम अपने वचन पूरे कर सकेंगे। परन्तु आयोग ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। भारतीय नौवहन के विकास के मामले में तो सारा सदन एक मत है। विरोधी दल के सदस्य भी इस मामले में विभिन्न कारणों से काफी उत्साह दिखाते रहे हैं। फिर भी योजना आयोग का लक्ष्य १९६१ तक १०.२० लाख टन और ९,००,००० टन ही रहा।

योजना आयोग और परिवहन मंत्री का इस मामले में पक्का विचार था कि हमें भारत के सामुद्रीय व्यापार के कम से कम १५ प्रतिशत भाग को संभाल सकने की स्थिति में होना चाहिये।

नौवहन नीति समिति के अनुसार समस्त तटवर्ती व्यापार तथा ५० प्रतिशत विदेशी व्यापार भारत के हाथ में होना चाहिये। इसलिये १५ प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। परिवहन मंत्री की आशा है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्त तक हम अपना २० लाख टन का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अनुसार हमने ३,००,००० टन अतिरिक्त कुल

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मात्तन]

पंजीबद्ध टन भार और साथ ही ९,००,००० टन प्रतिस्थापन के रूप में रखने की व्यवस्था की है। इस लिये योजना का लक्ष्य ३,९०,००० टन है। परन्तु आर्डर २६ जहाजों का ही दिया गया है, और यह हमें १९६१ तक प्राप्त होंगे। इस तरह कुल टन भार १,७०,००० टन होता है। इसका अर्थ यह है कि २,२०,००० टन और चाहिये तभी ३,००,००० टन तथा प्रतिस्थापन के ९०,००० टन का लक्ष्य पूरा होगा।

४५ करोड़ रुपये द्वितीय योजना के अन्तर्गत नौवहन के लिये रखे गये हैं। ३८ करोड़ का उपयोग हो गया है। रेलवे और परिवहन उपमंत्री के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति के लिये ४५ करोड़ और चाहिये। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि योजना आयोग यह लक्ष्य कैसे पूरा करेगा।

आज हमारे सामने विदेशी विनिमय की समस्या है। नार्वे का गतवर्ष का नौवहन द्वारा कमाया हुआ विनिमय २०० करोड़ रुपये का है। हम अपने थोड़े से जहाज़ों से भी ५ या ७ करोड़ रुपये वार्षिक तक कमा लेते हैं। द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में सामान का अनुमान २४० लाख टन है इस पर ३०० करोड़ रुपया भाड़ा होगा। जोकि विदेशी समवायों को देना होगा। इस लिये योजना आयोग यदि ४५ करोड़ दे दे तो इससे लाभ ही होगा।

नौवहन विकास की आधारभूत बात यह है कि इससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। विशाखा-पटनम के नावांगण की शक्ति ५०,००० टन की है, इसलिये दूसरे नावांगण की व्यवस्था हो रही है क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता है। संसार का टन भार लगभग दुगना हो गया है। इसलिये हमें शीघ्रता से इस ओर प्रगति करनी ही है।

हमारे बहुत कुछ कहने-सुनने पर माननीय परिवहन मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जब वह केरल गये तो यह घोषणा की थी कि शीघ्र ही कोचीन में नाविकों के प्रशिक्षण के लिये स्कूल आरम्भ किया जायेगा। परन्तु अब वर्तमान परिवहन मंत्री का कहना है कि मामला विचारा-धीन है केरल सरकार भी ऐसे स्कूल को इमारत के लिए एक लाख से अधिक देने को तैयार है।

माननीय मंत्री की इस बात से हमें निराशा हुई है, क्योंकि देश के इस भाग में बेकारी अधिक है। इसलिये सदन को बड़ी गम्भीरता से इस पर विचार करना चाहिये।

†**श्री तिम्मय्या** (कोलार-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : माननीय उपाध्याक्ष महोदय, चुनाव क्षेत्रों में हमने देखा कि ग्रामों की स्थिति बड़ी शोचनीय हो रही है। प्रत्येक ग्राम में परस्पर-विरोधी दल हैं। इसका कारण पुराने पटेल, शान भोग, कुलकर्णी और पटवारी हैं। इस प्रणाली को अब हटा दिया जाना चाहिये। अब राजे, महाराजे हटा दिये गये तो इन्हें हटाने में क्या आपत्ति है।

गत पांच वर्षों में जो भी विकास कार्य हुये हैं, उनका ग्राम वालों को पता नहीं, विरोधी दलों ने उन्हें काफी गलत बातें बताई है। सरकार को उन्हें जानकारी पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिये और बताना चाहिये कि ग्राम सुधार के लिये क्या क्या हो रहा है।

विरोधी दलों ने जनता की अज्ञानता का अनुचित लाभ उठाया। यदि ऐसी स्थिति रही तो वे इसका अधिक से अधिक लाभ उठायेंगे। ऐसे लोगों में भी अनुसूचित जातियों के लोग विशेष हैं। इसलिये ग्रामीण क्षेत्रों में इन लोगों के आर्थिक सुधार का विशेष प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

---

† मूल अंग्रेजी में

मैं चाहता हूं कि ग्रनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये ग्रलग स्कूल खोले जाने चाहिये। माननीय सदस्य ने कहा कि हरिजनों के लिये ग्रलग कुंयें बनवाने की ग्रावश्यकता नहीं है पर मैं समझता हूं कि हरिजनों के लिये ग्रलग कुंयें बनवाये जाने चाहिये।

खाद्य उत्पादन तथा कृषि सम्बन्धी उत्पादन भी कम होता जाता है। मैं मानता हूं कि मौसम इसके लिये एक कारण हो सकता ही है पर मुख्य कारण तो यह है कि किसान लोग कृषि के सुधरे ढंगों, ग्रच्छी खादों तथा बदल बदल कर फसलें बोनों के बारे में बिल्कुल ग्रनभिज्ञ है। हमें उनको इस बात के बारे में शिक्षा देनी चाहिये। प्रथम पंच वर्षीय योजना में हमने भूमि की उवरंता का ध्यान नहीं दिया। जितना स्तर पर भूमि का सर्वेक्षण कराया जाना चाहिये ग्रौर किसानों को बताया जाना चाहिये कि ग्रमुक भूमि पर ग्रमुक फसल ग्रच्छी होगी। सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिये कि किसानों को बढ़ी हुई कीमतों का पूरा पूरा लाभ मिले। भारत में लगभग २२ प्रतिशत ऐसे किसान हैं जिनके पास ग्रपनी भूमि नहीं है। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में न्यूनतम मंजूरी ग्रधिनियम लागू नहीं किया गया है : सरकार को इन मजदूरों के हितों की रक्षा के लिये कल्याण पदाधिकारी नियुक्त कर देने चाहिये। कुटीर उद्योग के लिये काफी राशि निश्चित की गयी है क्योंकि गरीब लोगों को बिना प्रतिभूमि दिये कोई राशि ऋण के रूप में नहीं मिलती। कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि गरीब लोगों को बिना प्रतिभूति के ऋण मिल सके। बेरोजगारी को दूर करने के लिये सरकार को नकद धन के बजाय ग्रन्य प्रकार से गरीबों की सहायता करनी चाहिये। विकास कार्य गांव स्तर से शुरू किया जाना चाहिये। तभी गांव के निवासियों की स्थिति में सुधार होगा।

श्री रनदमन सिंह (शाहडोल सीधी रक्षित ग्रनुसूचित ग्रादिम जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापका ग्राभारी हूं कि ग्रापने मुझे समय दिया। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो ग्रपना बजट पेश किया है उस के ग्रन्दर पंच वर्षीय योजना के जो लक्ष्य दिखलाये गये हैं वे ज्यादातर देहातों में दिखलाए गये हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यह लक्ष्य ज्यादातर किताबों में, कागजों में ग्रौर फाइलों में ही पाये जाते हैं, देहातों में बहुत कम। योजना का प्रोग्राम तो ऐसा होना चाहिये कि साल ब साल सारे देश की जनता में एक प्रसन्नता की लहर दौड़ती जाय ग्रौर देखने में ग्राये कि कहां क्या काम हुग्रा है ग्रौर किस तरह से योजना चल रही है। उद्योगों को प्रमुख केन्द्र गांवों में होने चाहियें जहां पर कि देश की ८० प्रतिशत जनता रहती है। शहरों में उन के होने से जो थोड़े बहुत लोग पास रहते हैं केवल उन्हीं को मालूम होता है ग्रौर शहरी लोगों में तो स्वयं चेतना होती है। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसे काम ग्रधिकतर वहां होने चाहियें जहां पर कि न रेल है, न सड़कें हैं ग्रौर न जहां के रहने वालों के लिये ग्रब तक कोई विशेष कार्य हुग्रा है, ग्रर्थात् देहातों में। उन लोगों को ग्रधिक से ग्रधिक शक्ति ग्रौर पुष्टता मिलनी चाहिये, वहां ऐसे रचनात्मक काम होने चाहियें ग्रौर ऐसे छोटे छोटे उद्योग होने चाहिये कि जो वहां की जनता से सम्बन्ध है, खास कर गरीब जनता, उस की दिक्कत कम होने की सम्भावना हो। इस काम के वास्ते सरकार को चाहिये कि वह एक निष्पक्ष योजना ग्राडिट कमेटी नियुक्त करे जो देखे कि साल में कहां पर कितना काम हुग्रा है, कितने काम सम्पूर्ण हुये ग्रौर कितने ग्रधूरे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे काम बहुत कम किये जाते हैं। देखने में ग्राया है कि इस पंच वर्षीय योजना के ग्रन्दर जिन देहातों में रचनात्मक क्रान्ति के नाम से काम हुये हैं, जैसे कुंएं खोदे गये हैं, तालाब खोदे गये हैं या कोई ग्रादर्श मकान बनाये गये, हैं, वहां पर वह काम ग्रधूरे पड़े हुये हैं। बहुत से तालाबों में तो पानी तक नहीं कुंग्रों में भी पानी नहीं है, वह गिर गये हैं। स्कूलों की हालत खराब है लेकिन उन की सरकार कोई देख रेख या जांच नहीं करती। मैं ग्रापको एक जूनियर हाई स्कूल की हालत बतलाता हूं जिसको कि मैंने हाल ही में देखा है। वह पहली पंचवर्षीय योजना में बना था। वह एक कच्चा मकान है,

[श्री रदमन सिंह]

घास फूस से छाया हुआ है। उसकी दीवारों पर मामूली मिट्टी छपी हुई थी जो कि बरसात में धुल गई और गिर गयी। उसी स्कूल के पास एक कुंवा है जिसमें कि ६,००० रुपया लग चुका है पर वह आधा ही बना है, २८ फुट तक ही खदा है। उसको पूरा नहीं किया गया। नतीजा यह है कि उसका कुछ हिस्सा गिर गया है। उसी का गन्दा पानी वहां के लड़के पीते हैं। लड़कों के रहने के लिये कोई जगह नहीं है। बरसात में लड़कों को बड़ी तकलीफ होती है। जाड़ों में उनको ठंडी हवा का सामना करना पड़ता है जिससे वे बीमार हो जाते हैं। इसलिये मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि चाहे काम कम हो पर सचाई के साथ हो और रचनात्मक हो। और आपको एक आडिट कमेटी जरूर नियुक्त करनी चाहिये जो कि चैक करे कि साल में कहां कितना कार्य हुआ। जो अधूरा काम छोड़ दिया जाता है उसको करने वाले ठेकेदारों को या जो लोग उसके लिये जिम्मेदार हों उनको पकड़ना चाहिये। स्वर्गीय भूतपूर्व महाराजा श्री गुलाब सिंह जूदेव के समय में एक सड़क का ठेका एक बड़े आदमी को दिया गया। वह बहुत सी रकम खा पी गया और काम पूरा नहीं किया। तब महाराजा ने उसकी सारी जमानत जब्त कर ली और पूरे ठेके की रकम उससे वसूल की और उससे कहा गया कि अपने पैसे से सड़क बनावे। उसके ऊपर डिग्री गयी और उसका घर बरबाद हो गया। उसके बाद ऐसे ठेकेदार तैयार होते थे जो रुपये में सवा रुपये का काम करके देते थे। आजकल एक एक काम के लिये पचास पचास ठेकेदार तैयार हो जाते हैं क्यों उन में कोई नियंत्रण नहीं है। तो मेरा मंत्री महोदय से अर्ज करने का मतलब यह है कि जो सरकार का रुपया बरबाद जा रहा है और यह जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसको रोका जाना चाहिये। अगर ऐसा नहीं किया जायेगा तो जनता को लाभ नहीं हो सकता। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

आजकल यहां एक किसान सम्मेलन हो रहा है। पिछले साल यह कहा गया था कि अगले साल यह सम्मेलन कहीं देहातों में किया जायेगा ताकि जनता इससे लाभ उठा सके। लेकिन हम देखते हैं कि फिर यहां पर तालकटोरा बाग में वह सम्मेलन हो रहा है। यदि यह सम्मेलन देहातों में होता तो लाखों की संख्या में जनता आती। यहां तो केवल बड़े बड़े आदमी ही आ पाते हैं। यहां पर तो ज्यादातर जमींदार और बड़े बड़े आदमी आये हैं। किसान बहुत कम आये हैं। मैं ने खुद जा कर देखा है। बतलाया तो यह जाता है कि यह किसानों का सम्मेलन है और उनके फायदे के लिये किया जाता है लेकिन जो किसान हल चलाता है और खेती करता है वह यहां नहीं आ सकता। उनको बतलाया जाना चाहिये कि खेती किस तरह से करें, कैसा बीज डालें, कैसी खाद डालें ताकि पैदावार ज्यादा हो। अर्ज करने का मतलब यह है कि ऐसे सम्मेलन देहातों में किये जाने चाहिये ताकि जनता को अधिक फायदा पहुंचे। किसानों को पता होना चाहिये कि कैसे बीज काम में लावें, कैसी खाद डालें, पर उनको इन बातों का पता ही नहीं। उनको बतलाये तो कौन बतलाये। सरकार उनके लिये अच्छा बीज भेजती है तो वह मौसम के बाद पहुंचता है। उनको समय पर नहीं मिल पाता। जैसा कि एक माननीय सदस्य महोदय ने कहा कि अगर उनको समय पर बीज नहीं मिलता तो बाद में मिलने से क्या फ़ायदा। इन बातों पर सरकार को समय से पहले ध्यान देना चाहिये।

इस साल देश में बहुत जगह पर ओले गिरे हैं और पानी बरसा है। यह ठीक तो नहीं कहा जा सकता कि देश में इससे कितना नुकसान हुआ है पर मैं समझता हूं कि इस साल फस्ल को बहुत नुकसान हुआ है। इसके अलावा हमारे पहाड़ी प्रदेशों के लोग तो अपने यहां फल फूल खा कर करीब ५ या ६ महीने बिता देते हैं। ओले पड़ने का परिणाम यह हुआ कि फूल ही झड़ गये और

खेती भी बरबाद हो गयी। सरकार को ऐसे पहाड़ी प्रदेशों की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये और वहां के लोगों के लिये रिलीफ और तकावी का प्रबन्ध जल्द करना चाहिये।

हरिजनों और आदिवासियों के लिये स्कालरशिप्स के लिये सरकार रुपया मंजूर करती है। लेकिन देहातों में देखा जाता है कि वहां पर लड़कों को वजीफा नहीं मिल पाता। मुश्किल से एक दो स्कूलों में दो चार लड़कों को वजीफा मिलता है। उनको भी वजीफा समय से नहीं मिलता। नतीजा यह होता है कि इम्तिहान के वक्त वे फीस दाखिल नहीं कर पाते और इसलिये उनको स्कूल छोड़ जाना पड़ता है। मैं कहता हूं कि सरकार के खजाने से तो रुपया खर्च ही हो जाता है, लेकिन वह रकम जाती कहां है? सरकार की तरफ से इन पिछड़े हुये लोगों को खाना कपड़ा दिया जाये और दूसरी सुविधायें दी जायें, लेकिन यह न करके साधारण वजीफे तक नहीं मिल पाते। सरकार को ऐसे कामों पर भी ध्यान देना चाहिये।

जहां जंगलों के पास देहातें बसी हुई हैं वहां के रहने वालों का जंगलों से बहुत बड़ा सम्बन्ध है। लेकिन हम देखते हैं कि गांवों के पास वाले जंगलों का ठेका दे दिया जाता है जिससे इन लोगों को बड़ी असुविधा हो जाती है। उनको न तो लकड़ी मिल सकती है और न मकान आदि बनाने के बांस मिल सकता है। उनको इस काम के लिये सौ सौ मील से बांस लाना पड़ता है, जिसको कि वे लारी आदि से नहीं ला सकते बल्कि उसे अपने कन्धों पर लाना पड़ता है। आप सोचें कि ऐसी जगहों की जनता की क्या हालत होगी। सरकार इन बातों पर विचार नहीं करती। मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि उनको जलाने के लिये लकड़ी का, कोयले का प्रबन्ध किया जाये और मकान बनाने के लिये बांसों का प्रबन्ध होना चाहिये। इसके बाद आप चाहे जितने ठेके दे दें। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती और गांव के पास के जंगलों का ठेका दे देती है और उन गांवों में वहां के लोगों का निस्तार व जाना बन्द कर देती है। ऐसे लोगों में अधिकांश हरिजन और आदिवासी ही शामिल हैं।

सरकार ने अस्पृश्यता निवारण के लिये कानून बनाया है लेकिन हम देखते हैं कि देहातों में उस कानून का उपहास हो रहा है। आदिवासियों की आर्थिक हालत दिन व दिन गिरती जा रही है। ये लोग ज्यादातर जमींदारों के इलाके में रहते हैं। जमींदार उनके काश्त की जमीन अपने नाम पट्टा लिखवा लेते हैं और आधे या लिहाई पर उनसे खेती करवाते हैं। इस तरह इनको अपनी मेहनत की कमाई का चार या पांच आना मिलता है और इस तरह से उनकी गरीबी बढ़ती जाती है। दूसरी ओर बढ़े हुये टैक्सों के कारण उनकी आवश्यकता की चीजें जैसे चीनी, तेल, नमक, कपड़ा आदि महंगी होती जाती हैं। इस कारण इन लोगों की आर्थिक हालत और भी खराब होती जा रही है। सरकार को इन बातों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। टैक्सों का मैं विरोध नहीं करता। मैं नहीं कहता कि टैक्स न लगाये जायें। लेकिन पहले सरकार उत्पादन बढ़ाये, लोगों की आमदनी बढ़ाये और फिर टैक्स लगाये तो किसी को ऐतराज नहीं होगा।

मैं सरकार से खास कर घूसखोरी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिये अर्ज करूंगा। यह घूसखोरी और भ्रष्टाचार तब तक नहीं रुक सकता जब तक कि सरकार छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं बढ़ाती, जैसे पटवारी, मुन्शी, चपरासी, चौकीदार, मास्टर व सिपाही वगैरह। इनकी तनख्वाह बढ़ाने के बाद से देखा जाये कि भ्रष्टाचार और घूसखोरी बन्द होती है या नहीं। जो आपने अस्पृश्यता निवारक कानून बनाया है उसके बारे में भी देखा जाये कि उसका असर हो रहा है या नहीं। अगर आप इन मसलों को हल कर लें और छोटे आदमियों की रोजी रोटी कपड़े आदि का मसला हल कर लें तो आपकी पंच वर्षीय योजना बहुत सफल हो सकती है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से अर्ज करूंगा कि इसके बारे में अच्छी तरह ध्यान दें और इन कामों को चैक करने

[श्री रणदमन सिंह]

के लिये एक निष्पक्ष योजना आडिम कमेटी की नियुक्ति अवश्य करें। मेरा खयाल है कि ऐसा करने से आपका काम अच्छी तरह से चलेगा और योजना भी बहुत सफल होगी।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि पिछले तीन दिनों के बाद विवाद में सभा ने सभी बातें सुनीं हैं और अब मुझे कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। पर सभा की दृष्टि से देश की जनता को शिक्षित बनाने के सम्बन्ध में काफी निराशाजनक स्थिति रही है। मैं नहीं समझता कि आयव्ययक के इस वाद विवाद में जो आलोचनायें की गई हैं उनको गंभीरता पूर्वक समझा जाय या नहीं। फिर भी यदि सरकार चुप रहती है तो सरकार उन सभी आरोपों के लिये अपराधी समझी जायेगी जो उस पर लगाये गये हैं।

पर, खेद की बात है कि ५ वर्ष के अनुभव के बाद भी कुछ सदस्य ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जिनके बारे में उन्हें पूरी जानकारी होनी चाहिये, अर्थात् हरिजन कल्याण के विषय में, बिना यह जाने ही कि उन विषयों के बारे में क्या किया जा रहा है या क्या किया जा चुका है, बोलें। उस समुदाय के दो सदस्यों ने अभी एक घण्टे पूर्व सरकार पर, चाहे केन्द्रीय सरकार हो या राज्य सरकार, जो आरोप लगाये हैं, वे बिल्कुल निराधार हैं। इस समुदाय के लिये जो कार्य किया गया है वह, मैंने माना कि, उससे बहुत कम है जितना होना चाहिये था परन्तु फिर भी बहुत प्रभावशाली है।

श्री म० रं० कृष्ण राज्य सरकारों के अन्याय के बारे में कह रहे थे कि उन्होंने हरिजनों के पुरवों में अलग कुयें खुदवाये हैं। माननीय सदस्य यह बात क्यों नहीं समझते कि यदि कुएं गांवों के पास और पुरवों से दूर खुदवाये गये होते तो इससे हरिजनों को कोई लाभ न होता।

कुछ सदस्यों ने निर्वाचनों सम्बन्धी अपने अनुभवों की बातें कहीं। निर्वाचनों का शिक्षा की दृष्टि से बहुत महत्व है। मैं स्वयं कह सकता हूं कि इन दो महीनों में मैंने बहुत कुछ सीखा है।

इस देश के उस वर्ग की एक आवाज, जिसे कम सुविधायें प्राप्त हैं, हमें हर स्थान पर सुनाई पड़ी कि हमें भी वही विशेष सुविधायें तथा विशेष रियायतें दीजिये जो आपने हरिजनों को दी हैं। यह आवाज उन लोगों की थी जो सवर्ण हिन्दू कहे जाते हैं जैसे मछुये और धोबी और ऐसे लोगों ने भी इसलिये यह आवाज लगाई, जो कुछ अच्छे वर्ग के हैं, कि जहां तक उनके रहन सहन के स्तर का प्रश्न है वे हरिजनों के ही समान हैं पर उनको हरिजनों के समान विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हैं और मैं भी समझता हूं कि हमें हरिजनों के विशेषाधिकारों को छीनना नहीं चाहिये पर हमें ऐसे लोगों के लिये भी कुछ विशेषाधिकार की व्यवस्था करनी चाहिये जिनकी आय का स्तर १००० रुपये प्रति वर्ष से कम है।

अतः हरिजन समुदाय के माननीय मित्रों को विदित होना चाहिये कि हमारे देश में ऐसे लोगों की संख्या भी काफी है जिनका रहन-सहन का स्तर हरिजनों से भी, जिनको सरकार विशेष सुविधायें देती है, नीचा है। मैं चाहूंगा कि इस बात को गलत तरीके से न समझा जाय। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यह समझते हैं कि हमने हरिजनों के लिये या उन लोगों के लिये जिनको अधिकार प्राप्त नहीं हैं, ठीक ही किया है। साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अन्य ऐसे लोग भी हैं जिनको यह विशेषाधिकार मिलने चाहियें।

गन्दी बस्तियों की सफाई तथा निम्न आय वर्ग के लोगों की आवास व्यवस्था के प्रश्न को लीजिये। कई सदस्यों ने इस सम्बन्ध में भाषण दिया है। एक माननीय महिला सदस्य ने भी गन्दी बस्तियों की सफाई के बारे में कहा था। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने आवास व्यवस्था का

† मूल अंग्रेजी में।

जिक्र किया। यह सच है कि हम इस समस्या के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर सके हैं हो सकता है ऐसा इस कारण हो कि हम ऐसा करने में समर्थ न हों या राज्य सरकारों को पहले से इतने काम रहे हों कि वे इस समस्या को उचित प्राथमिकता न दे सकीं हों। हो सकता है ऐसा इस कारण हो कि हम राज्य सरकारों को इस कार्य के लिये पर्याप्त दान नहीं दे सके। पर निर्वाचनों के सम्बन्ध में जिन लोगों ने भ्रमण किया है उनका यह निश्चय है कि इस समस्या को ठीक तरह से सुलझाया जाना चाहिये और यदि आवश्यकता पड़े तो हमें इस शर्त को हटा कर, कि हम उतनी ही सहायता हैं जितनी राज्य सरकार दें, देश के गरीब वर्ग की इस समस्या के लिये पूर्ण वित्तीय उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लें।

श्री अशोक मेहता ने इस समस्या को बहुत स्पष्ट करके रखा और हम से कहा कि हम उसे ठीक रूप में समझ कर उसको सुलझाने की कोशिश करें। यदि मैं आगामी पांच वर्षों में कम आय वाले वर्ग के सभी व्यक्तियों की आवास व्यवस्था को पूरा करने का आश्वासन दे दूं तो हमें उन विषयों में से धन बचाना पड़ेगा जो योजना में रखे गये हैं और जिनके लिये धन की आवश्यकता कम आय वाले वर्ग के लिये आवास व्यवस्था करने की तुलना में, अधिक है। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने इस मामले को ठीक ठीक समझा कर बताया और इसके लिये जो उपाय उन्होंने बताया है उससे मैं सहमत भी हूं।

कम आय वाले वर्ग की आवास व्यवस्था के लिये हमें कुछ न कुछ करना अवश्य है। पिछले ५ वर्षों में हमारी नीति प्रभावपूर्ण नहीं हो पाई है। हमने राज्य सरकारों से बराबर अनुदान देने की मांग अनुचित शर्तों के अधीन की थी। हम ३० या २५ प्रतिशत अनुदान तथा ५० प्रतिशत ऋण देने को तैयार हैं। राज्य सरकारों को २५ प्रतिशत की व्यवस्था करनी चाहिये यदि वह ऐसा नहीं कर सकते तो वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। हम जानते हैं कि कुछ राज्यों के आय के साधन बहुत थोड़े हैं और वे साधारणतया अपने आय व्ययक को भी सन्तुलित नहीं रख पाते। पर २५ प्रतिशत व्यय का भार उठाने की जो योजना हमने उनके सामने रखी थी उसका भी लाभ उन्होंने नहीं उठाया। फिर बराबर अनुदान की मांग करना तो एक मखौल है।

म समझता हूं कि मैंने पहले शायद कभी नहीं बताया कि गांव में रहने वाले लोगों की जीवनदशा में सहायता देने के सम्बन्ध में हमें अपने दृष्टिकोण में बड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। लगभग एक वर्ष पूर्व मैं बम्बई के शोलापुर जिले के एक गांव में गया था। वहां के लोग हथकरघा उद्योग का कार्य बहुत अच्छा कर रहे थे। उन्होंने हमारी योजना का लाभ उठाया था। हम हथकरघा के बुनकरों के लिये एक बस्ती बसाना चाहते थे। वहां पर जल संभरण की कोई व्यवस्था नहीं थी। वहां दो कुएं थे जिनमें भी कीड़े पड़े थे। लोगों को ४ मील दूर से एक नदी से पानी लाना पड़ता था। प्रत्येक हिन्दु बुनकर को ३ रु० ४ आना प्रतिदिन तथा प्रत्येक मुसलमान बुनकर को २ रु० ८ आना प्रतिदिन की औसत आय थी। उनका कहना था कि यदि उन्हें पानी लेने इतनी दूर न जाना पड़े तो वे एक रुपया प्रतिदिन और कमा सकते थे।

मुझे पता लगा कि बम्बई सरकार ने नगरपालिका के लिये एक जल संभरण योजना स्वीकृत कर दी थी। सरकार ने ४ लाख रु० से कुछ अधिक राशि दी थी और उसने नगरपालिका से २ लाख रु० से कुछ अधिक राशि लगाने को कहा था। नगरपालिका में ८,००० ऐसे व्यक्ति थे जो हथकरघा उद्योग पर निर्भर थे और २,००० ऐसे व्यक्ति थे जो अन्य साधनों पर निर्भर थे पर नगरपालिका ने कहा कि योजना के लिये धन नहीं है। परिणाम यह हुआ कि हर साल वह राशि स्वीकृत की जाती थी और व्यपगत हो जाती थी। मैंने बम्बई सरकार से कहा कि हथकरघा बुनकरों की बस्ती के लिये नियत की गयी राशि का एक चौथाई भाग मैं दे सकता हूं। मैं नहीं जानता कि इस सम्बन्ध में क्या हुआ।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

मैं यह बात केवल इसलिये कह रहा था कि यदि ऐसे गांव में जिसमें लोगों को ४ मील जा कर पानी लाने के कारण लोगों की आय में कमी होती हो, समान अनुदान की बात करने का कोई मतलब नहीं है। अतः हमें इस बात पर विचार करना है कि क्या हम कम आय वाले वर्ग की आवास व्यवस्था के लिये राज्य सरकार से समान अनुदान की मांग करें। पर हमारे हरिजन मित्रों के भाषण में जो जोर दिखाई पड़ता था उसमें उतना तथ्य नहीं है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि लोगों को खूब सरलता से ऋण दिया जाना चाहिये। यदि ऋण देना है तो अनुदान दिया जा सकता है। मैं अभी एक फाइल देख रहा था जिसमें एक संस्था ने २० लाख रुपये का ऋण मांगा है जब कि उस पर ४४,३७,००० रु० का ऋण पहले से ही है। उस संस्था की आस्तियां लगभग १४ लाख रुपये के हैं। स्पष्ट है कि ४४ लाख रुपये में से ३० लाख रुपये बेकार व्यय किये गये। २० लाख की मांग फिर की गयी है। हो सकता है कि आस्तियों पर ऋण देने के लिये हमारे सामने इस बात को एक आकर्षक रूप में रखा गया हो पर वास्तव में आप को पता लगेगा कि २० लाख देने के बाद आस्तियां ३४ लाख रुपये की हो जायेंगी जब कि ऋण ६४ लाख रुपये होना चाहिये था। यदि मेरे माननीय मित्र ऋण के बजाय अनुदान की बात कहते तो मैं सहमत हो जाता पर बिना किसी प्रतिभूति के ऋण देना अनुदान के ही बराबर है। जब हम अपनी आस्तिओं का पुनर्विलोकन करेंगे तो हमें उसमें काफी कमी करनी पड़ेगी। हमें अपने ऋण के स्तम्भ की राशियों के अंकों में भी काफी कमी करनी पड़ेगी। इससे पता लगता है कि हमें आंखें खोल कर ऋण देना या सहायता करनी चाहिये। यदि हमें अनुदान देना है तो कोई बात नहीं पर यदि हमें ऋण देना है तो हमें पता लगा लेना चाहिये कि यह ऋण वापस मिलेगा या नहीं।

मैं नहीं समझता कि क्या ऐसे ऋण किन्हीं संस्थाओं द्वारा या सरकार द्वारा दिये जाने चाहियें या नहीं। सरकार द्वारा इस प्रकार ऋण देना यह दिखाता है कि हमारा आय-व्ययक मुद्रास्फीति को बढ़ाना है यहां तक की कलकत्ता के "कैपिटल" नामक पत्रिका में इसे मुद्रास्फीति का आय-व्ययक कहा गया है। पर ऐसा नहीं है। ३६५ करोड़ रुपये प्रकट करते हैं कि हम प्रतिदिन १ करोड़ रुपये की दर से बिना किसी प्रतिभूति के आधार के व्यय कर रहे हैं। पर वास्तव में यह बात नहीं है। हम मुद्रास्फीति का आय व्ययक नहीं बनाते हैं। यदि हम प्रत्येक माननीय सदस्य तथा प्रत्येक राज्य की मांगों को पूरा करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि हम मुद्रास्फीति को बढ़ा रहे हैं पर आप जानते हैं कि मैं उनको स्पष्ट बात बताता हूं और कह देता हूं कि यदि आपकी मांग पूरी की गयी तो स्थिति यह होगी।

मैं इस सभा में आने वाले सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस कमी को पूरा करने का उपाय बतायें ताकि किसी प्रकार इस ३६५ करोड़ रु० को ६५ करोड़ रु० किया जा सके। इस प्रकार का सुझाव देने वालों के लिये मैं आजीवन आभारी रहूंगा।

जब आय-व्ययक सभा के सामने आता है तो उसकी आलोचना की जाती है। पर आलोचना का अभिप्राय यह नहीं है कि आप शब्दकोष के कुछ चुने हुये शब्द ढूंढ कर उसकी आलोचना कर दें जैसा कि स्वर्गीय श्री जमनादास मेहता ने एक बार किया था।

मेहसाना पश्चिम से आने वाले मेरे माननीय मित्र को मेरे आय-व्ययक वक्तव्य की आलोचना करने के लिये काफी शब्द मिल जायेंगे। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने पूछा कि इकट्ठे किये जाने वाले आय-कर का क्या हाल है। और क्या उस पर उपयोगिता के क्रमिक ह्रास का नियम लागू

हो रहा है। मैं समझता हूं कि आय-कर तथा इस क्रमिक ह्रास के नियम का कोई भी परस्पर सम्बन्ध नहीं है। मैं व्याख्यात्मक ज्ञापन के कुछ आंकड़ों के बारे में बताऊंगा। १९५५–५६ में निगम कर तथा आय कर की राशि १६८,४०,००,००० रु० तथा १९५६–५७ के प्रतिरक्षित आय व्ययक में १८९,६०,००,००० रु० १९५७–५८ के आय व्ययक में १९७,६०,००,००० रु० है। इससे वृद्धि ही हुई है क्रमिक ह्रास का नियम लागू नहीं होता।

उन्हीं माननीय सदस्य ने आगे कहा कि हमें संविधान को हटा देना चाहिये हमें राज्यों का कार्य देखने के लिये एक समिति बनानी चाहिये। राज्यों को दिये जाने वाले ऋणों की छानबीन की जानी चाहिये। पर क्या उन्हें मालूम है कि इन बातों की राज्यों पर क्या प्रतिक्रिया होगी। जब हम उनसे कहते हैं कि वह घाटे का बजट बनाते हैं तो वह हम से नाराज होते हैं। जब उनसे कहते हैं कि आप सरकारी खजाने को लूट नहीं सकते तो वे और भी नाराज होते हैं।

†**डा० लंका सुन्दरम्** (विशाखपट्टनम्) : जब आप राज्यों को ऋण देते हैं तो क्या आप उसे वापस लेने की आशा रखते हैं ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** मैं तो चाहता हूं कि उनकी वसूली हो, लेकिन हम जो चहाते हैं वह सदा ही पूरा नहीं हो पाता। मैंने अभी अभी एक उदाहरण दे कर बताया था कि हम ऋणों के सम्बन्ध में किस प्रकार से कार्य करते हैं। हम जब भी अनुदान देने में असमर्थ रहते हैं, तो बहुधा राज्य सरकारें कहने लगती हैं कि तब हमें ऋण ही दे दीजिये। लेकिन राज्यों के पास आस्तियां तो रहती नहीं हैं। इसलिये उनको दिये जाने वाले ऋण वापस होने का कोई साधन ही नहीं है। मेहसाना के मेरे मित्र चाहते हैं कि मैं राज्यों को दिये जाने वाले इन ऋणों के प्रश्न की छानबीन करूं और इन ऋणों की छानबीन करने के लिये इस सभा की ओर से एक समिति भी नियुक्त की जाये। लेकिन, राज्यों की ओर से ऐसे किसी भी सुझाव का विरोध किया जायेगा। जो भी हो कम से कम मुझ में तो ऐसा सुझाव रखने का साहस नहीं है।

उन्होंने दूसरी बात यह कही थी कि जीवन बीमा व्यवसाय में हानि हुई है और मैं एक असफल व्यवसायी सिद्ध हुआ हूँ। तब मैं मानता हूं कि एक सीमा तक उसमें हानि हुई है और यह भी कि मुझे उसमें लाभ करने का प्रयास करना चाहिये। इतना तो मैं मानता हूं लेकिन यदि माननीय सदस्य यह सुझाव देना चाहते हैं कि मैं उन्हें बुलाकर उनसे कहूं कि आप इसका काम चलाइये, आप इसमें अधिक लाभ कर सकते हैं, तो उनकी आशा पूर्ण नहीं होगी।

अब मैं आगे का आय व्ययक तैयार करने के प्रश्न को लेता हूं। मेरे पास अभी आंकड़े नहीं हैं, हो सकता है कि सदा ही हमारे आंकड़े बिलकुल ही सही न रहते हों। आय-व्ययक की विधि के जानकार मेरे सलाहकार मुझे यही बताते हैं कि मैं उन तमाम मदों के लिये सांकेतिक अनुदान की मांग करूं जिनका मैं सही-सही निर्धारण न कर सकूं, और उसके बाद मैं अनुपूरक मांग करूं। लेकिन, तब लोग कहेंगे कि मैं पहले से आय-व्ययक तो तैयार करता नहीं हूँ, और अनुपूरक मांगें करता हूं मेरे पास संसाधन तो हैं नहीं और मैं नया कराधान करता रहता हूँ। मेहसाना के माननीय सदस्य ने मुझ पर दोषारोपण किया है कि मैंने संसद् की वित्तीय प्रथा को तोड़ दिया है, क्योंकि मैंने सभा में एक या दो बार अतिरिक्त करों को लगाने का प्रस्ताव रखा है। मैं आपको बताता हूं कि मैंने अपनी वर्तमान आवश्यकताओं के लिये ठीक-ठीक आय-व्ययक तैयार किया है और अपनी भावी आवश्यकताओं के लिये मैं सांकेतिक अनुदान की मांग रखूंगा; और यदि मेरी भावी आवश्यकताओं बहुत बड़ी-बड़ी होंगी, तो स्वाभाविक ही है कि मुझे सभा के सन्मुख अतिरिक्त संसाधनों की मांग प्रस्तुत करनी ही पड़ेगी। लेकिन तब आप

† मूल अंग्रेजी में।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

आपत्ति करने लगते हैं। लेकिन, यदि मैं अभी ही उन आवश्यकताओं का अनुमान करलूं और आप से कहूं कि इतनी कमी पड़ती है और इसके लिये मुझे नये कर लगाने पड़ेंगे, तो भी आप उस पर आपत्ति करने लगते हैं। यह तो एक उस पत्नी जैसा किस्सा हुआ जिसको पति पसंद नहीं करता और जो कुछ भी वह करती है उसे गलत ही ठहराता है। आशा है कि मेहसाना के माननीय सदस्य को मेरे उत्तर में से संतोष हो गया होगा कि मैंने उनकी बातों की ओर उचित ध्यान दिया है।

श्री राधारमण ने बक्रीकर के सम्बंध नें कुछ कहा था। मैं स्वयं भी बिक्री कर को पसंद नहीं करता, लेकिन राज्यों की आय का वही एक मुख्य स्रोत है। बिक्री कर के सम्बन्ध में हमारी सबसे बड़ी कठिनाई मानवीय प्रकृति की है, एक हमारे ही देश में नहीं सभी देशों में यही कठिनाई सामने आती है, फिर चाहे वह अमरीका हो, या जर्मनी, या आस्ट्रेलिया या फ्रांस ही क्यों न हो। अभी तक किसी भी देश ने बिक्री कर की एक ऐसी त्रुटि हीन प्रणाली नहीं निकाली हैं जिससे कि प्रत्येक को संतोष हो पाये। अभी तक हम उसके सम्बन्ध में परीक्षण ही करते रहे हैं।

मेरे मित्र श्री शर्मा ने कहा था कि हमें सीमान्त क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। हम अवश्य ही पंजाब सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित कर देंगे, लेकिन वह शायद इसके लिये हमसे अनुदानों की मांग करेगी।

इसके बाद, उन्होंने उन स्थानों के बारे में सूचना मांगी थी जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं रहता। मैं समझता हूं कि इसके लिये हमें जनगणना आयुक्त से इसे १९६१ में संग्रह करने के लिये कहना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि जनगणना शीत काल में की जाती है और उस समय पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है।

श्रीमती जयश्री ने अल्प बचत योजना के सम्बन्ध में कहा था। मैं स्वयं भी अल्प बचत योजना से कोई विशेष संतुष्ट नहीं हूं। यहां सभा में किसी माननीय सदस्य ने, शायद श्री अशोक मेहत्ता ने, अल्प बचत योजना की श्री पाटिल द्वारा की गई आलोचना का उल्लेख किया था। उस का कुल परिणाम यह था कि श्री पाटिल के सामने एक समस्या पैदा हो गई थी। पता नहीं वह समस्या अब भी उनके सामने है या नहीं, या उन्होंने उसे जड़ से ही समाप्त कर दिया है।

फिर, आज सुबह इस सभा में विधि के एक प्रमुख ज्ञाता ने बड़ी जोरदार आलोचना की थी। उन्होंने वैदेशिक नीति के क्षेत्र में हमारे दुर्व्यवहारों की बड़ी कटु आलोचना की थी। मैं नहीं जानता कि काश्मीर हमारी वैदेशिक नीति के क्षेत्र में आता है, या गृह नीति के क्षेत्र में। उसके कथन का आशय यही था कि काश्मीर के सम्बन्ध में कांग्रेस दल के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी दलों के सदस्यों जिनमें श्री चटर्जी भी सम्मिलित हैं, के कथन सही सिद्ध हुए हैं। वे एक वकील हैं और उन्हें जानना चाहिए कि वकालत में बार बार दोहराये जाने इस कथन को महत्व नहीं दिया जाता कि "मैं आपसे पहले ही कह चुका था।" घटना हो चुकने के बाद, उस पर बुद्धिमानी की राय देना आसान होता है। लेकिन, मैं पूरे विश्वास के साथ यह भी नहीं कह सकता कि हम इस घटना के बाद अपने को उतना ही बुद्धिमान समझ रहे हैं, जितना कि वे।

विरोधी दल की ओर से एक जो बुनियादा शिकायत की गई है वह योजना के सम्बन्ध में है। योजना के सम्बन्ध में मुझे जितना भी कुछ कहना था वह मैं सभा के सन्मुख प्रस्तुत श्वेत पत्र और अपने संक्षिप्त से भाषण में कह चुका हूं। हो सकता है कि योजना में हमने प्राथमिकताओं का जो क्रम रखा है उसमें कुछ ग़लती हो, हो सकता है कि हम उसका पुनरीक्षण भी चाहें। लेकिन इस सम्बन्ध में मैंने आय-व्ययक पुरःस्थापित करने के दिन बड़ी विनम्रता से यही अनुरोध किया था कि "यदि

आप इसकी त्रुटियां बतायें, तो हम उन पर विचार करेंगे और यदि हम उनसे पूर्णतया सहमत हो जायेंगे, तो हम उनमें सुधार भी करेंगे। लेकिन हमारी मूल अभिधारणाओं और उपधारणाओं के सम्बंध में संसद् प्रकट मत कीजिये।" लेकिन, कुछ माननीय सदस्यों ने इस पर आपत्ति भी की है, हालांकि श्री चटर्जी और मेहसाना के माननीय सदस्य के अतिरिक्त अन्य सदस्यों ने इसे अपने खुले रूप से नहीं कहा है। हम से बहुधा कहा है कि हम कभी भी कोई सही काम नहीं कर सकते। एक संगठन ऐसा भी है, जो अपने कई सम्बद्ध निकायों के साथ, हमेशा कहता है कि हम कभी भी कोई सही काम नहीं कर सकते। श्री जयसूर्य ने मुझे सूचित किया था कि हम दोनों एक ही शैक्षणिक संस्था में शिक्षा पाये हुए हैं और कि शिक्षा की बड़ी उपेक्षा की गई है। उन्होंने अपनी बात को इसलिये पूरा नहीं किया था कि इन सभी समस्याओं के प्रति उनका दृष्टिकोण शुद्ध सांसारिक न होकर कलात्मक सुरुचिपूर्ण ही है। उन्होंने कहा था कि "जितनी लम्बी चादर हो उसी के अनुसार पैर फैलाइयें, यह मत कहिये कि आप उसमें अधिक कपड़ा जोड़ लेंगे, फिर चाहे वह पैबन्द ही क्यों न लगे, आप उसमें अधिक कपड़ा जोड़ ही लेंगे और उसे अपनी इच्छानुसार अधिक बड़ी बना ही लेंगे"। समाचार-पत्रों में भी यह प्रश्न उठाया गया है। यह तो सही है कि उन्हें हमरी आलोचना करनी चाहिये लेकिन, इससे हमें विदेशों में कुछ हानि अवश्य हो सकती है। विदेशों में हमसे बार बार कहा जाता है कि हम वास्तविकताओं को भुलाकर बड़ी ही महत्वाकाक्षी योजना बना रहे हैं। हो सकता है कि हमारी योजनाओं को महत्वाकांक्षी कहने वाले कुछ देश यह भी सोचते हों कि हमारे महत्वाकाक्षापूर्ण योजनीकरण के कारण इस देश में उनका बाजार खत्म हो रहा है। उनमें से कुछ देश ऐसे भी हों जो अधिक बुद्धिमानी से यही सोचते हों कि यदि हम महत्वाकाक्षापूर्ण योजनीकरण करेंगे तो यहाँ उनके लिये और भी अच्छा बाजार बन जायेगा और हमारे देश में औद्योगीकरण कि और अधिक प्रगति होने पर यहां प्रविधिक विकास की आवश्कता और भी बढ़ जायेगी। और उसे उन देशों का उच्च प्रविधिक विकास पूरा कर सकता है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि जब भी मैं योजना के सम्बन्ध में किन्हीं ऐसी आधारभूत और संगत आलोचनाओं को देखता हूं जो और किसी तर्क को सुनना ही नहीं चाहती और जो न तो हमारा दृष्टिकोण और न इस देश की उन आधारभूत आवश्यकताओं को ही समझने का प्रयास करती हैं जिनकी पूर्ति के लिये आवश्यक है कि योजना में कोई भी काट-छांट न की जाये, तो उस समय मुझे यही दुःख होता है कि प्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले, हमारे देश के अधिक बुद्धिमान व्यक्ति इन चीजों को समझने का प्रयास तक नहीं करते। मैं यह तो समझ सकता हूं कि एक क्षेत्र विशेष, मैं अभी उसका नाम नहीं लूंगा, जिसे अपने विशेषाधिकारों के कम होने का अंदेशा हो, योजना में काट-छांट करने की मांग करे, यह चाहे कि प्रगति रोक दी जाये और हम जो भी प्रगति करना चाहते हैं वह सभी उसी क्षेत्र विशेष में की जाये। मैं उस क्षेत्र विशेष की बात तो समझ सकता हूं, यह दूसरी बात है कि मैं उसका अनुमोदन न करूं। मैं उस क्षेत्र की इस इच्छा को समझ सकता हूं कि यदि वे अपनी इच्छानुसार प्रगति नहीं कर सकते तो फिर उनके नियंत्रण से बाहर के क्षेत्र में भी कोई प्रगति न की जा सके। मैं उन्हें बता सकता हूं कि यह उनकी गलती है, क्योंकि मैं नियंत्रण के क्षेत्र में जितनी भी प्रगति करूंगा, उसके फलस्वरूप दूसरे क्षेत्र में भी भारी प्रगति होगी। यह इसलिये, कि यदि मैं आधारभूत सामग्री का उत्पादन करता हूं तो, मैं अपने ही क्षेत्र में तो उसका उपयोग नहीं कर सकूंगा। मैं उन्हें उपभोग की वस्तुओं में तो नहीं बदल सकूंगा और न जनता को उन उपभोग वस्तुओं का सम्भरण ही कर सकूंगा। इसे दृष्टिकोण की संकीर्णता कहा जा सकता है। लेकिन यदि वे मेरे प्रयासों पर आपत्ति उठाते हैं, तो मैं उसे इस प्रकार समझ सकता हूं कि लोग अपने अधिकार की वस्तुओं को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते। उन्हें यह भय हो सकता है कि उन्हीं के समान सम्पन्न कोई अन्य व्यक्ति अन्त में उनकी स्थिति से उन्हें च्युत कर सकता है। मैं ऐसे लोगों की बात तो समझ सकता हूं, लेकिन मैं अपने उन बुद्धिमान आलोचकों की बात नहीं समझ पाता जो इस देश में प्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, पर इस तथ्य को भी नहीं समझ पाते कि देश को इस योजना की आवश्यकता

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

है; कि यह इतने बड़े आकार की योजना की आवश्यकता केवल इसलिये नहीं है कि देश में प्रधान मंत्री और कांग्रेस दल को सत्तारूढ़ बनाये रखा जाये, इसलिये नहीं कि श्री जवाहरलाल नेहरू सदा ही इस देश के प्रधान मंत्री बने रहें और हम उनके साथ यहां मंत्री बने रहें, बल्कि इस आकार की योजना की आवश्यकता इसलिये है कि काफी तेजी से प्रगति न करने पर हमारे देश पर अनिवार्य रूप से जो दुर्भाग्य आयेगा उससे बचने के लिये यही कम से कम प्रयास आवश्यक है। सभा में विभिन्न माननीय सदस्यों ने प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में न की जा सकने वाली विभिन्न चीजों का उल्लेख किया है। उनके न कर सकने का केवल एक कारण यही है कि हमने अभी तक पर्याप्त औद्योगिक प्रगति नहीं की है, हमारे पास प्रगति करने के लिये संसाधन नहीं हैं और इसीलिये हम उसमें असमर्थ रहे हैं।

मेरे माननीय मित्र श्री नि० चं० चटर्जी ने कहा है कि हमें देश की प्रतिरक्षा की शक्ति बढ़ानी चाहिये। हालांकि यह उन्होंने सीधे-सीधे नहीं कहा है, क्योंकि वकील लोग कभी भी सीधे-सीधे नहीं कहा करते। लेकिन यदि मैं प्रतिरक्षा की शक्ति बढ़ाना चाहूं, प्रतिरक्षा को दृढ़ करना चाहूं, तो पहले इस योजना में जो न्यूनतम औद्योगिक कार्यक्रम रखा गया है उसे पूरा करना ही अत्यावश्यक है। मैं चाहता हूं कि वे लोगों को यह समझाने में मेरी सहायता करें कि इस योजना को कार्यान्वित करना आवश्यक है और चूंकि यह योजना हमारी क्षमता से अधिक का कार्यक्रम लेकर चल रही है, इसलिये इसके हेतु कुछ त्याग भी करना आवश्यक ही है। यदि वे यह करने को तैयार हो जायें, तो उसके बाद ही देश की प्रतिरक्षा की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। मैं युद्ध के टैन्क तभी निर्मित करा सकता हूं, जबकि हमारे पास भारी मशीन निर्माण के कारखाने हों और इस्पात के उत्पादन की पर्याप्त क्षमता हो। मैं तभी विमानों का निर्माण करा सकता हूं जबकि देश में हमारे पास उसका व्यावहारिक ज्ञान और आवश्यक कच्चा माल हो। मैं चाहता हूं कि श्री चटर्जी भी इसे अनुभव करें। वे सदा से इसी बात पर जोर देते रहे हैं कि हमें प्रतिरक्षा की शक्ति बढ़ानी चाहिये। हम भी यही करना चाहते हैं। मैं पहले के आय-व्ययकों के सम्बन्ध में कह सकता हूं कि हमने शायद एक ग़लती अवश्य ही की है। वह यह कि जब तक हम बाध्य नहीं हो जाते थे, तब तक हम पहले कभी भी सभा को यह नहीं बताते थे कि हमने इस पर धन खर्च कर दिया है, कि हम प्रतिरक्षा सेवाओं पर व्यय बढ़ा रहे हैं। यह न करके, हम यह धन अनपूरक मांगों से मांग लेते थे। लेकिन, इस बार हमने निर्णय कर लिया था कि हम सभा और जनता को बता देंगे कि हमें अपनी प्रतिरक्षा सेवाओं को अनकूलतम कार्य-कुशलता के स्तर पर बनाये रखने के लिये इतनी राशि और शायद इससे कुछ अधिक ही राशि व्यय करनी पड़ेगी। मैं इसे कोई तर्क के लिये ही नहीं कह रहा हूं। मैं तर्क नहीं करना चाहता; मैं उन लोगों को तर्क में हराने का इच्छुक नहीं हूं जो हमें अभी इसीलिये पसंद नहीं करते कि वे स्वयं निजी क्षेत्र में हैं, कि वे निजी उपक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं प्रेस की भी कोई कटु आलोचना नहीं करना चाहता। मेरे अपने सम्बन्ध उनके साथ बहुत ही अच्छे हैं। मैं यह सब किसी चुनौती के रूप में नहीं बल्कि अपनी समझ के अनुसार एक खेदपूर्ण भावना के ही रूप में व्यक्त कर रहा हूं। दुर्भाग्य तो यह है कि जब हमारे ऊपर देश की सरकार के प्रशासन का उत्तरदायित्व है, तब तक हमारी समझदारी को ही अन्तिम माना जायेगा। और, हमारी अपनी समझदारी के अनुसार तो देश को विपत्ती से बचाने के लिये न्यूनतम कार्यक्रम यही है। यदि आप हमारी बुद्धि पर भरोसा नहीं करते और हमें सामान्य बुद्धि के व्यक्ति मानने को तैयार नहीं हैं, तो कम से कम हमारी सद्भावना को तो स्वीकार कीजिये। इतनी आशा मैं उन सभी से करता हूं जो वास्तव में विरोधी दल में नहीं है। इसके विरोध में, श्री म० कु० मैत्र ने कहा है कि कांग्रेस दल का इतिहास वचन भंग का इतिहास है। वे तमाम चीजे करना चाहते थे। मैं उनकी भाषा समझता हूं। यदि उनके पास कोई तर्क नहीं रह जाता है तो फिर एक मार्ग यही शेष रहता है कि वे भर्त्सना

करें। लेकिन देश की प्रगति चाहने वाले वास्तव में देशभक्त और बुद्धिमान व्यक्तियों को यह तो समझने का प्रयास करना चाहिये कि हम यह सब क्यों कर रहे हैं।

मैं श्री अशोक मेहता का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने इसे सही ढंग से खुले तौर पर व्यक्त कर दिया है। मैंने इस कड़वी घूंट में चीनी मिलाने का प्रयत्न नहीं किया है, मैंने यर्थाथ परिस्थिति को ज्यों का त्यों आपके सामने रख दिया है, उसकी गम्भीरता को कम करके दिखाने का प्रयास नहीं किया है। हम चाहते हैं कि देश हमारा साथ दे। हम चाहते हैं कि देश का प्रत्येक नागरिक यह अनुभव करने लगे कि यह करना आवश्यक है, और इसे करना अत्यंत ही कठिन होगा। मेहसाना के मेरे माननीय मित्र एकाएक यह महसूस करने लगे हैं कि मैं कोई अच्छा वाणिज्य और उद्योग मंत्रीं नहीं हूं। ३१ अगस्त से पहले, मुझे निजी क्षेत्र के अपने उन मित्रों के सामने जाने में बड़ा संकोच होता था जो सोचते थे कि दो वर्षों की परिवीक्षा के बाद वे मेरा अनुमोदन करने लगेंगे, और जिसके कारण विरोधी दल के मेरे मित्र मुझे आंग्ल-अमरीकी और भारतीय पूंजीवाद का दलाल कहने लगे थे और अब १ सितम्बर को ही मुझे सबसे अधिक कार्य-कुशलता हीन वाणिज्य और उद्योग मंत्री समझा जाने लगा है। मैं कभी भी यह आशा नहीं करता कि जनता का कोई भी भाग मेरे प्रति कृतज्ञ होगा। मैं मेहसाना के अपने माननीय मित्र को बताता हूं कि यह कोई वैयक्तिक गर्व की, या घमंड की बात नहीं है। हमने जो कुछ भी किया है वह सब एक संयुक्त मंत्रालय का ही कार्य है। कुछ ही दिनों बाद यह मंत्रालय अपना अधिकार नये मंत्रालय को सौंप देगा। हमने इस देश की सेवा काफी अच्छी की है। हम गरीब जनता को अधिक लाभ इस लिये नहीं पहुंचा सके हैं कि हमने निहित हितों की सेवा काफी अच्छे ढंक से की है और यह इसलिये कि हम चाहते थे कि इस देश की सम्पदा में वृद्धि हो। मैं जानता था कि धन काले बाजार में जा रहा था और कर अदा नहीं किये जा रहे थे। मैं जानता था कि हमने जो व्यापक संरक्षण दे रखा था उसके कारण बड़े-बड़े मुनाफे कमाये जा रहे थे। मैं जानता था कि हमने इस देश को उपभोक्ताओं पर इसलिये बहुत अधिक करों का भार रख दिया था कि हमने उपक्रमों को छूट दे रखी थी कि बाजार को देखकर मूल्य रख सकते थे। लेकिन, हमने यह सब क्यों किया? हमने और सरकार ने जो कुछ भी किया है, मैं उस सबका दण्ड भुगताने को तैयार हूं। हमने वह सभी देश के हितों में ही किया था। हमने वह सब निजी उपक्रम के हित के लिये नहीं किया था। हो सकता है कि उस सबसे निजी उपक्रम को भी सहायता मिली हो, लेकिन मैं उस के लिये निजी उपक्रम से कोई कृतज्ञता नहीं चाहता। हो सकता है कि मेहसाना के माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा हो। मैं व्यक्तिगत आधार पर बात नहीं करना चाहता। मेहसाना के माननीय सदस्य उस परियोजना विशेष के सम्बन्ध में अच्छी तरह से जानते हैं जिससे कि वे सम्बंधित रहे हैं और जिसमें हमने उन्हें पूरी तेजी से आगे बढ़ते जाने की छूट दे रखी थी। तब वे बहुत प्रसन्न थे, और यह वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी तब निजी उपक्रम का बड़ा मित्र था। लेकिन, एकाएक १ सितम्बर को वही मंत्री और मंत्री-परिषद के उसके तेरह सहयोगी निजी-उपक्रम के मित्र नहीं रह गये। यह तो बाद की पीढ़ियां ही बता सकेंगी कि ४$^{1}/_{2}$ वर्ष तक वाणिज्य और उद्योग मंत्री और मंत्रि परिषद् के उसके सहयोगियों ने इस देश को औद्योगीकृत करने में देश की सेवा की है या नहीं। आज मैं विदेशी मुद्रा की बिगड़ी हुई स्थिति का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने को तैयार हूं। मेहसाना के माननीय सदस्य इसके लिये आगे बढ़ कर क्यों नहीं कहते? मैं उनसे इस उत्तरदायित्व का थोड़ा सा भी अंश सम्भालने को नहीं कहता। उनका कार्य तो केवल यही है कि सभी संबंधित संस्थाओं से मुनाफे बटोरते रहें। जब मुद्रा बाजार में तंगी होती है, तो बड़ौदा का बैंक काफी अधिक लाभांश देता है। सारी जनता की तकलीफ से किसी दूसरे का फायदा होता है। भारत का निजी उपक्रम इसी प्रकार का है। आप देश की तकलीफ से सरकार की तंगी से फायदा उठाते हैं, आप अपने मुनाफे बढ़ाने के लिये हमारी सभी कठिनाईयों का फायदा उठाते हैं। मुझे खेद है कि अपने आलोचकों का उत्तर देने के लिये, मुझे यह सब कहना पड़ा है।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि हमें चाहे योजना में परिवर्तन करने पड़ें या चाहे उसमें काट छांट भी करनी पड़े, लेकिन मुझे उन लोगों की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती जो योजना आयोग के एक अधीनस्थ अधिकारी का उद्धरण देता है, जो एक विचित्र भाषा में अपनी बात कहता जिसे हम समझने में असमर्थ हैं। किसी एक दूसरे अन्य अधिकारी का उद्धरण देना उचित नहीं है। महत्व की बात तो वही हो सकती है, जो यहां मैं या मेरे सहयोगी कहते हैं। सदा ऐसी बातें कहने से कोई भी लाभ नहीं होगा।

हम बड़ी गम्भीरता से योजना की कार्यान्विति में जुटे रहेंगे। यदि हम असफल होंगे, तो असफलता ही सही। मुझे इसका दुःख नहीं होगा कि पहले मैं ही असफल हुआ।

हम योजना को पूरी तौर पर कार्यन्वित करने के लिये कटिबद्ध हैं, हम उसके लिये भरसक अपना पूरा प्रयत्न, पूरा बल और प्रत्येक संसाधन जुटा देंगे। हम योजना को कार्यान्वित करके ही दम लेंगे। अपने भाषण के आरम्भ में मैंने कहा था कि मैं स्पष्टवादिता के लिये श्री अशोक मेहता का आभारी हूं। मैं चाहता हूं कि हमारी लगातार और उचित आलोचना करने के लिये वे सदा ही लोक-सभा में रहें। मैं आलोचना की चिन्ता नहीं करता, पर आलोचना वस्तुगत होनी चाहिये, उसका परिणाम सुधारा ही होना चाहिये। मैं उनके प्रत्येक शब्द को मानता हूं। हमें प्राथमिकता के अपने विचार में आमूल परिवर्तन करते रहना चाहिये। प्रगति करने के साथ-साथ, हमें उसमें परिवर्तन करते चलना चाहिये। इसीलिये हम प्रत्येक वर्ष योजनायें बनाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर, वर्ष के बीच में भी हमें परिवर्तन करने पड़ेंगे, और यदि हमे जनता से कहना पड़ता है कि उन्हें देश के लिये कुछ कष्ट सहने पड़ेंगे तो हमें उसमें हिचकना नहीं चाहिये।

उन्होंने कहा था कि चार वर्षों तक तो हम साहस रख सकते हैं। मैं यह कहता हूं कि हम तो पांचवें वर्ष के अन्तिम दिन तक साहस रखेंगे। और यदि जनता मुझे या सरकार को केवल इसीलिये फिर से सभा में नहीं आने देना चाहे कि हम साहसी हैं और सत्य कहने में हिचकते नहीं हैं, तो मुझे प्रसन्नता होगी। युद्ध की भांति चुनावों में भी कोई भी आकस्मिकता चाहे क्यों न हो जाये, पर हमें अन्तिम दिन तक भी जनता से वास्तविकता को छिपाने का प्रयास नहीं करना चाहिये। हम जनता से स्पष्ट कहेंगे कि हम चाहते हैं कि वे त्याग करें। हो सकता है कि इसकी भी आवश्यकता पड़े। लेकिन, हम कभी भी जनता से उसकी सामर्थ्य से अधिक त्याग करने के लिये नहीं कहेंगे।

मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि यह कहना व्यर्थ है कि हमने किस मद पर कितना व्यय किया है। चुनावों का मेरा अपना अनुभव यह है कि हमारी जनता पूरी स्थिति को जानती है। मैं गन्दी बस्तियों में काफी घूमा हूं। कुछ माननीय सदस्य कहते हैं कि हमने वहां जाकर वचन भी दिये थे। उत्तर-पश्चिम कलकत्ता के मेरे माननीय मित्र कहते हैं कि हमने अपने वचनों का पालन नहीं किया है। लेकिन मैं उसके बारे में कोई भ्रम तो पैदा नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि मेरे पास संसाधन कितने हैं और छिपे हुए संसाधन कितने हैं और मैं किन-किन संसाधनों का उपयोग कर सकता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं अपने वचनों पर अटल हूं। मैं श्री मैत्र को बताता हूं कि हम उन्हें पूरा करने का भरसक प्रयत्न करेंगे।

मैं पहले भी गन्दी बस्तियों में काफी घूमा हूं। वहां के लोग मकान नहीं मांगते, वे झोपड़ियां डालने के लिये थोड़ी सी भूमि, स्वच्छता पीने के पानी का सम्भरण और सड़कें भर चाहते हैं। उनमें से अधिकांश मकानों की मांग नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि ऐसी ही चीज़ मांगी जानी चाहिये जो मिल सके। इसीलिये मैं ने वहां से लौट कर दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा कि

वे सबसे कम आय वाली जनता के कल्याण का सीधा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्भालने के लिये प्रस्तुत हों। हम उनमें हरिजनों और गैर हरिजनों का विभेद नहीं करेंगे। हम उनमें शरणार्थियों और गैर शरणार्थियों का भी कोई विभेद नहीं करेंगे। हो सकता है कि कभी शरणार्थी तो धनी बन जायें और धनी लोग शरणार्थी बन जायें। हमें तो सबसे कम आय वाली जनता की चिन्ता है। और जब तक इस सरकार के पास पर्याप्त संसाधन रहते हैं, जब तक मुझे इस देश के वित्त को सम्भालने का विशेषधिकार मिला रहता है, तब तक हम सब से कम आय वाली जनता की भरसक सेवा करते रहेंगे। लेकिन साथ ही मैं यह भी महसूस करता हूं, और श्री अशोक मेहता ने भी इसी पर जोर दिया था कि हमें जनता को सत्य से अवगत कराना चाहिये, वस्तविकता बतानी चाहिये। वास्तविकता यह है कि हमें अपनी समूची अर्थ-व्यवस्था को युद्ध-कालीन अर्थ-व्यवस्था के आधार पर संगठित करना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ लोग नियंत्रणों को पसंद न करें। मैं जानता हूं कि भारत की सामान्य जनता, अपने युद्धकालीन अनुभव के कारण, नियंत्रणों से बहुत चौंकती है, और जब तक हम अपना तरीका लोकतांत्रिक बनाये रखते हैं तब तक हमें जनता के इस चौंकने की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि जनता तो पांच वर्षों के बाद ही अपनी इच्छा को मनवा सकेगी। लोकतांत्रिक समाजवाद को नियंत्रणों और स्वतंत्रता के बीच का मार्ग ही अपनाना पड़ता है। हम यह जानते हैं, लेकिन मेरा विचार है कि जनता के सामने वास्तविकता रख देना ही सर्वोत्तम होता है। मेरा अपना अनुभव यह है कि यदि जनता को वास्तविकता बताने के बाद उनसे इस आशा पर त्याग करने के लिये कहा जाये कि अगले पांच वर्षों में उनके रहन-सहन में सुधार होगा, तो जनता त्याग करने के लिये तैयार हो जायेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह त्याग निष्फल नहीं रहेगा। इस सभा के कुछ माननीय सदस्य जो भी कहें, मेहसाना के सदस्य जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं वे भी जो चाहे कहें, पर हमने एक निश्चय कर लिया है, और हम सभा के सन्मुख प्रस्तुत श्वेत पत्र और आय-व्ययक में मोटे तौर पर निर्देशित नीतियों पर दृढ़ता से चलने के लिये कटिबद्ध हैं।

इस आय-व्ययक को सभा ने जो इतना समर्थन दिया है, मैं उसके लिये अत्यंत आभारी हूँ।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, २५ मार्च, १९५७ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

[शनिवार, २३ मार्च, १९५७]

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १८१

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये:—

(१) इलेक्ट्रिक ब्रास लैम्प होल्डर उद्योग का संरक्षण जारी रखे जाने पर प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५६) तथा उस प्रतिवेदन को सरकार के पास भेजने वाले पत्र संख्या टी.सी/आई.डी/ई/६५ तारीख २४ दिसम्बर, १९५६ की एक एक प्रति।

(२) सरकार का संकल्प संख्या ४८ (१) टी. बी/५६ तारीख २२ मार्च, १९५७

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित। . १८१

बीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

पारित विधेयक—

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) ने विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९५७ पर विचार करने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार विचार के बाद विधेयक पारित हुआ। १८१–८२

वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) ने विनियोग विधेयक, १९५७ पर विचार करने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार विचार के बाद विधेयक पारित हुआ। . . . १८२

वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) ने विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९५७ पर विचार करने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार विचार के बाद विधेयक पारित हुआ। . १८३

वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) ने केरल विनियोग विधेयक, १९५७ पर विचार करने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडवार विचार के बाद विधेयक पारित हुआ। . . . १८३

सामान्य आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . . . १८४–१९४

सामान्य आय-व्ययक पर अग्रेतर चर्चा जारी रही। श्री ति० त० कृष्णमाचारी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया और चर्चा समाप्त हुई। १९४–२२३

सोमवार, २५ मार्च, १९५७ के लिये कार्यावलि

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव।